Con. 3. X.4.49
320

अंक 10
संख्या 4

सत्यमेव जयते

मंगलवार
11 अक्तूबर
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
संविधान का मसौदा–(जारी) [अनुच्छेद 311, 312-च, अनुसूचियां 3-क, 4 और द्वितीय अनुसूची पर विचार]	2825-2882

भारतीय संविधान सभा

मंगलवार, 11 अक्तूबर, 1949

भारतीय संविधान-सभा कांस्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली, में प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

मि. अजीज अहमद खां के निधन पर शोक-प्रकाश

***अध्यक्षः** मैं बड़े खेद के साथ सभा को अपने एक सदस्य बरेली के मि. अजीज अहमद खां की मृत्यु की सूचना देता हूं। वे बहुत काल तक संयुक्त प्रान्त की विधान सभा के सदस्य रहे और फिर इस सभा के सदस्य रहे। वे कुछ काल से बीमार थे और कुछ दिन पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। माननीय सदस्य अपनी जगहों पर खड़े होकर उन की स्मृति के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करेंगे और मुझे उनके कुटम्बियों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति का सन्देश भेजने की आज्ञा देंगे।

(सदस्य शांतिपूर्वक खड़े हो गये)

संविधान का मसौदा—(जारी)

अनुच्छेद 611—(जारी)

***अध्यक्षः** अब हम अनुच्छेद 311 पर आगे विचार करेंगे। इस पर हम कल भी विचार कर रहे थे। मि. नज़ीरुद्दीन अहमद अपना संशोधन संख्या 146 उपस्थित कर सकते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 146 उपस्थित करना चाहता हूं:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड 1 की व्याख्या में (1) "Constituent Assembly" (संविधान सभा) **शब्दों के स्थान पर** 'membership of the Constituent Assembly' (संविधान सभा की सदस्यता) **शब्द रखे जायें।** (2) 'includes' (अन्तर्गत हैं) **शब्द**

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

के स्थान पर 'shall include' (अन्तर्गत होंगे) **शब्द रखे जायें।"**

अपने पहले संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रसंग में उसकी आवश्यकता है। यह पदावली व्याख्या में प्रयुक्त है। व्याख्या में कहा गया है कि "इस खंड के प्रयाजनों के लिये भारत डोमिनियन की संविधान सभा के अन्तर्गत राज्यों के सदस्य हैं" इत्यादि। इस पर यह आपत्ति की जा सकती है। कहा गया है कि "संविधान सभा" के अन्तर्गत कुछ सदस्य हैं। मेरे विचार से "संविधान सभा" भाव वाचक संज्ञा है। वह केवल विधि की पदावली है। संविधान सभा के अन्तर्गत सदस्य नहीं हो सकते किन्तु "संविधान सभा की सदस्यता" के अन्तर्गत सदस्य हो सकते हैं मैं चाहता हूं कि मसौदा समिति ही इस प्रश्न पर विचार करे।

संशोधन का दूसरा भाग भी मसौदे के सम्बन्ध में ही है और पहले भाग का आनुषंगिक भाग।

इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में मैं सामान्यत: यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं श्री कामत के इस विचार से सहमत हूं कि "संविधान सभा" जैसी सीधी सादी पदावली का बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से प्रयोग किया गया है। उसमें ये शब्द प्रयुक्त हैं? "वह निकाय, जो भारत डोमिनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले कृत्याकारी था।" इस लम्बे वाक्य के स्थान पर केवल "संविधान-सभा" रखा जा सकता था। यह पदावली सुपरिभाषित तथा सुबोध है और भारत स्वाधीनता अधिनियम के फलस्वरूप अस्तित्व में आई है। इसकी व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं श्री कामत के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारत-स्वाधीनता-अधिनियम में इस आशय का एक उपबन्ध है कि भारत-शासन अधिनियम में विहित शक्तियां रूपभेद के साथ संविधान-सभा प्रयोग करेगी और साथ ही वह संविधान बनाने का कार्य भी करेगी। यह शक्ति गवर्नर जनरल द्वारा अनुकूलन किये हुए भारत शासन अधिनियम में वर्णित सभी कर्तव्यों के सम्बन्ध में है। किन्तु यह अनुच्छेद 311 के द्वारा संविधान सभा को उन शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो इस संविधान में वर्णित है और उन शक्तियों में तथा अनुकूलन किये हुए भारत-शासन-अधिनियम में वर्णित शक्तियों में विभेद किया गया है। भारत-शासन-अधिनियम तथा यह संविधान बिल्कुल भिन्न अधिनियम हैं। जब तक निर्वाचन के पश्चात् संसद के नवीन सदनों का निर्माण न हो जाये तब तक इस संविधान के अधीन वर्तमान-संविधान सभा को कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिये इस प्रकार के अनुच्छेद की बहुत आवश्यकता है।

मेरा एक और संशोधन भी है जो खण्ड (3) के सम्बन्ध में है। वह संशोधन 158वां संशोधन है।

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड 3 के अन्त में 'within the meaning of the Rules of Procedure and Standing Orders of the Constituent Assembly' (संविधान

सभा के प्रक्रिया-नियम तथा स्थाई आदेशों के आशय के अन्तर्गत) शब्द जोड़ दिये जायें।"

संविधान के पारित होने पर स्थिति में जो अन्तर होगा उसके लिये इसकी भी आवश्यकता होगी। खण्ड (3) में कहा गया है कि जो लोग प्रान्तीय विधान-सभा तथा संविधान सभा के भी सदस्य होंगे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की प्रत्येक रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी। "आकस्मिक रिक्तता" की संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं की गई है। आकस्मिक रिक्तता का उल्लेख केवल संविधान सभा के प्रक्रिया नियमों तथा स्थाई आदेशों में मिलता है—नियम 5, उपनियम (1)। जहां तक विधान सभा के रूप में संविधान सभा की कार्यविधि तथा प्रक्रिया के नियमों का सम्बन्ध है, उनमें आकस्मिक रिक्तता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मेरे विचार से संविधान-निर्माता-सभा के रूप में संविधान सभा के नियमों में ही इसका उल्लेख है। यदि हम यह कहें कि उन्हें "आकस्मिक रिक्तता" समझा जाये तो हमें नियमों का हवाला देते हुए इस पदावली की व्याख्या करनी चाहिये। अन्यथा यह समझना कठिन हो जायेगा कि आकस्मिक रिक्तता का क्या अर्थ है। अभी तक हमने संविधान का जितना अंश पारित किया है उसमें यह पदावली प्रयुक्त नहीं है और 26 जनवरी को जैसे ही यह संविधान प्रवर्तन में आयेगा वैसे ही संविधान-निर्मात्र-सभा के रूप में इस सभा का अस्तित्व नहीं रह जायेगा। मेरे विचार से संविधान-निर्मात्र-सभा के प्रक्रिया-नियम, तथा स्थाई आदेश भी, अप्रभावी हो जायेंगे और प्रयोग में नहीं रहेंगे। इस प्रकार "आकस्मिक रिक्तता" पदावली का किसी अधिनियम अथवा नियम से कोई सम्बन्ध नहीं रह जायेगा। निर्वाचन के पश्चात् जो आकस्मिक रिक्तताएं होंगी वे, मेरे विचार से संविधान के अधीन बनाये हुए नियमों के अन्तर्गत आ जायेंगी। किन्तु इस समय हमारे वर्तमान नियमों के अतिरिक्त इस पदावली का और कहीं उल्लेख नहीं है। मेरे विचार से यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि वर्तमान नियमों के अधीन रहते हुए यह एक आकस्मिक रिक्तता है। इस प्रकार नियम 5 का शून्यन नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में केवल वही नियम प्रयुक्त हो सकता है।

संविधान-निर्मात्र-सभा के रूप में संविधान सभा के नियम, तथा विधान-सभा के रूप में संविधान सभा के नियम, परस्पर-विरोधी प्रतीत होंगे और यह नहीं कहा जा सकेगा कि कौन नियम लागू होता है। अच्छा यह होगा कि हम उस अधिनियम अथवा नियम का स्पष्ट उल्लेख कर दें, जिसके अन्तर्गत "आकस्मिक रिक्तता" पदावली आयेगी। यह संशोधन मसौदे के शोधन के सम्बन्ध में है और मसौदा-समिति कृपया इस पर विचार करे।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लेः** (मद्रासः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 'of any State or other territory'

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

(किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के) शब्दों के स्थान पर 'of a Governor's Province or Indian State' (किसी राज्यपाल-प्रान्त या देशी राज्य के) शब्द रखे जायें।"

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 'not represented' (प्रतिनिधित्व न था) शब्दों के स्थान पर 'not adequately represented, (पर्याप्त प्रतिनिधित्व न था) शब्द रखे जायें।"

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 'commencement of this Constitution' (इस संविधान के प्रारम्भ) शब्दों के पश्चात् (हिन्दी में अन्त में) 'having due regard to the proper representation of the Scheduled Castes' (अनुसूचित जातियों के यथोचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए) शब्द रखे जायें।"

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) में यह नवीन उपखण्ड प्रविष्ट किया जाये:–'(d) the election of a Speaker or Deputy Speaker for the Parliament' (संसद के लिये अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन)।"

श्रीमान, जब मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने सभा में यह अनुच्छेद उपस्थित किया था तो उन्होंने कहा था कि यह दूहरी सदस्यता के सम्बन्ध में है। किन्तु श्रीमान इस अनुच्छेद को पढ़ने पर मैंने देखा कि इसमें कई अन्य बातें भी हैं जिनकी ओर सभा को तथा राष्ट्रपति को ध्यान देना चाहिये क्योंकि अन्ततोगत्वा वही इसका निर्णय करेंगे कि अन्तर्कालीन संसद में राज्यों तथा अन्य राज्य-क्षेत्रों के कौन सदस्य भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त व्याख्या के खण्ड (2) में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि खण्ड (1) के अधीन जो अन्तर्कालीन संसद काम करेगी उसकी आकस्मिक रिक्तताओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी।

इस प्रसंग में मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समाज के एक वर्ग के प्रति, अर्थात् अनुसूचित जातियों के प्रति, बहुत अन्याय हुआ है। श्रीमान, जनसंख्या में जो आंकड़े हमें प्राप्त हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि 33 करोड़ की जनसंख्या में भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5 करोड़ है। यह तय किया गया है कि अन्तर्कालीन संसद में कुल मिला कर 320 सदस्य होंगे। इन में से 55 से लेकर 60 तक जगहें अनुसूचित जातियों के लिये रखी जानी चाहिये। अन्तर्कालीन संसद में अनुसूचित जातियों के कम से कम 55 सदस्य होने चाहियें। मैं देखता हूं कि व्याख्या (2) में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अनुसूचित जातियों के इतने प्रतिनिधि होंगे या नहीं। इसी उद्देश्य से एक संशोधन

में मैंने यह सुझाव रखा है कि भविष्य के प्राधिकारियों को अथवा राष्ट्रपति को, जो अन्तर्कालीन संसद में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में नियम बनायेंगे, अनुसूचित जातियों को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिये।

श्रीमान, संविधान-सभा के कार्य आरम्भ करने के पश्चात् कई देशी राज्य तथा अन्य राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व के लिये संविधान-सभा के क्षेत्राधिकार में लाये गये हैं। किन्तु हम यह देखते हैं कि इन राज्यों से संविधान सभा में, मैसूर राज्य के एक सदस्य के अतिरिक्त और कोई भी अनुसूचित जातियों का व्यक्ति नहीं भेजा गया है। इस अनुच्छेद का यह विषय बहुत सारवान है और इसकी आवश्यकता है कि राष्ट्रपति तथा संविधान-सभा के सदस्य इस ओर ध्यान दें।

जहां तक भविष्य की केन्द्रीय विधान-सभा तथा प्रान्तीय विधान-सभाओं का सम्बन्ध है। हम कुछ ऐसे अनुच्छेद पारित कर चुके हैं जिनमें हमने जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे हैं। किन्तु 26 जनवरी 1950 को इस सभा के विघटन के पश्चात् जो अन्तर्कालीन संसद अस्तित्व में आयेगी उसमें प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मुझे इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं दिखाई देता।

मेरे अन्य संशोधन अर्थात् संख्या 152 का उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव उन नियमों के अधीन हो जिन्हें राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को पदारूढ़ होने के पश्चात् बनायें। मैंने यह संशोधन इस कारण उपस्थित किया है कि पहले एक अनुच्छेद में हमने यह उपबन्ध रखा है कि जहां कहीं दो सभाएं हैं, विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा विधान परिषदों के सभापति संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् पदारूढ़ होंगे। उनमें हमने यही नहीं कहा है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात् उपाध्यक्ष तथा उपसभापति कहां पदारूढ़ रहेंगे। मेरी यह धारणा है कि अन्तर्कालीन संसद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रश्न भी राष्ट्रपति के निर्णय के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये ताकि उन निर्वाचनों का नियमन हो सके।

मैं देखता हूं कि मैंने जो अन्य संशोधन, अर्थात् संशोधन संख्या 156 उपस्थित किया है वह माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के उपस्थित किये हुए संशोधन संख्या 195 से मेल नहीं खाता। मैं संशोधन संख्या 195 के पैरा (3) पर अपने संशोधन को इस रूप में उपस्थित करना चाहता हूं:

> "A member in two assemblies shall resign his membership in the legislature of a Governor's Province or an Indian State thirty days prior to this Constitution coming into effect."

(दोनों सभाओं का सदस्य इस संविधान के प्रारम्भ से तीस दिन पूर्व राज्यपाल प्रान्त अथवा देशी राज्य के विधान मंडल की अपनी सदस्यता का परित्याग कर देगा।)

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

डॉ. अम्बेडकर ने कल यह तर्क उपस्थित किया था कि यह अनुच्छेद दुहरी सदस्यता के सम्बन्ध में है। यद्यपि संविधान सभा केवल संविधान-निर्माण के लिये ही अस्तित्व में आई थी किन्तु परिस्थिति-वश यह निर्णय किया गया है कि संविधान-सभा विधान सभा के रूप में भी कार्य कर सकती है। किन्तु एक प्रथा के अनुसार जो सदस्य प्रान्तीय विधान-मंडलों के भी सदस्य हैं वे अपने विधान-मंडलों के कार्य में भी भाग ले सकते थे। इस प्रकार ऐसे सदस्यों ने वास्तव में केन्द्रीय विधान-मंडल के सदस्यों के रूप में कार्य नहीं किया। इस समय दोनों प्रकार के कार्यों को यही सभा करती है किन्तु, मेरे विचार से जब संविधान सभा अन्तर्कालीन संसद का रूप धारण करे उस समय प्रान्तीय विधान-मंडलों से जितने सदस्य इस सभा में आये हैं उनसे कह दिया जाए कि वे अब उसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।

इसके अतिरिक्त श्रीमान, यदि यह अनुच्छेद स्वीकार किया जायेगा तो सदस्यों को इसका निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि वे अन्तर्कालीन संसद में कार्य करें अथवा अपने विधान-मंडलों में। हम इस संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद रख चुके हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों विधान-मंडलों का सदस्य नहीं रह सकता है। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि इस सम्बन्ध में सदस्यों को ही स्वतन्त्रता दी जाये। मुझे विश्वास है कि सदस्यों में इतना उत्तरदायित्व है कि वे दोनों सभाओं के सदस्य नहीं रहेंगे। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इस संविधान सभा के लिये ही चुने गये हैं, और वे सुयोग्य न्यायवेत्ता हैं, अथवा उन्हें इस देश के प्रशासन का विशेष ज्ञान है। कई सदस्यों का यह विचार हो सकता है कि उनका अन्तर्कालीन संसद में रहना आवश्यक है। हम कह नहीं सकते कि यह अन्तर्कालीन संसद कब तक काम करती रहेगी।

इसके अतिरिक्त श्रीमान, हरिजनों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष तक जगहें सुरक्षित रहेंगी। हम कह नहीं सकते कि यह अन्तर्कालीन संसद कब तक रहेगी। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह अवधि 26 जनवरी 1950 से आरम्भ होगी अथवा दो तीन वर्ष के पश्चात्, जब यह संविधान वास्तव में प्रयोग में आयेगा। कोई कह नहीं सकता कि यह अन्तर्कालीन संसद दो वर्ष रहेगी या दस वर्ष। यह स्थिति पर निर्भर रहेगा। इसलिये मेरी यही इच्छा है कि सदस्यों को इसकी स्वतन्त्रता दी जाये कि वे चाहें तो केन्द्रीय विधान सभा के कार्य करें और चाहें तो प्रान्तीय सभा में कार्य करें। श्रीमान, मुझे आशा है कि इन संशोधनों के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है कि उस पर मसौदा समिति विचार करेगी और जो कुछ आवश्यकता होगी वह करेगी ताकि सदस्य स्वविवेक से यह निर्णय कर सकें कि वे किस सभा में कार्य करेंगे।

***अध्यक्षः** क्या आप संशोधन संख्या 150 उपस्थित नहीं कर रहे हैं?

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लेः** श्रीमान, मैं उसे उपस्थित कर चुका हूं।

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बईः जनरल): श्रीमान, मैं संशोधन संख्या 153 और 157 को उपस्थित करने के लिये अपनी जगह से उठा हूं। ये संशोधन मेरे नाम से हैं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (3) में 'Sixth day of October 1949' (1949 के अक्टूबर के छठे दिन) शब्दों तथा अंक के स्थान पर 'date of commencement of this Constitution' (इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि को) शब्द रखे जायें।"

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (3) में 'as from the date of commencement' (इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर 'Casual vacancy' (आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी) शब्दों के स्थान पर यह रखा जाएः

'at the expiration of one month from the date of the commencement of this Constitution, that member's seat in the Legislature of a former Governor's Province or an Indian State shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the Constituent Assembly.' "

(इस संविधान के प्रारम्भ की स्थिति से एक मास समाप्त होने पर पहले के राज्यपाल प्रान्त अथवा देशी राज्य के विधान-मंडल में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जायेगा, जब तक कि उसने संविधान सभा के अपने स्थान को पहले ही न त्याग दिया हो।)

अपने संशोधन संख्या 157 के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मैंने इस विषय पर सावधानी से विचार किया है और मेरी यह धारणा है कि माननीय डॉ. अम्बेडकर ने जिस संशोधित खण्ड (3) को उपस्थित किया है उसमें यह रखा जा सकता है। श्रीमान, कुछ ऐसा समझा जाता है कि इस संविधान सभा में जो दुहरी सदस्यता रही है उसका शीघ्रातिशीघ्र परित्याग करना चाहिये और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि संसार के किसी भी संविधान में इस प्रकार की दुहरी सदस्यता की व्यवस्था नहीं है। सभी संविधानों में यह सामान्य उपबंध है कि यदि कोई सदस्य दोनों विधान-मंडलों, अर्थात् उच्च और अवर विधान-मंडलों, अथवा केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मंडलों के लिये निर्वाचित हो तो उस सदस्य को इसकी स्वतन्त्रता दी जाती है कि वह चाहे तो केन्द्रीय विधान-मण्डल में स्थान ग्रहण करे अथवा प्रान्तीय विधान-मण्डल में स्थान ग्रहण करे। यदि वह अपनी इच्छा

[श्री एच.वी. पातस्कर]

नहीं प्रकट करता है तो अवर सदन में, न कि उच्च सदन में, उसका स्थान रिक्त होता है। भारत-शासन-अधिनियम, 1935, की धारा 68 का खण्ड (2) इसी सिद्धान्त पर आधृत है।

श्रीमान, इस दुहरी सदस्यता का एक इतिहास है और मैं सभा को थोड़े समय में यह बता दूंगा कि यह किस प्रकार अस्तित्व में आई। जब हमारी संविधान-सभा का निर्वाचन हुआ तो उस समय इस देश में पुराने अधिनियम के अधीन एक केन्द्रीय विधान-मंडल कार्य कर रहा था। स्वभावतः उस समय संविधान-सभा के सदस्यों से केवल यह आशा की जाती थी कि वे संविधान का निर्माण करेंगे। किन्तु दस लाख लोगों के एक प्रतिनिधि के आधार पर वे लोग चुने गए थे। उस समय की केन्द्रीय विधान सभा में इतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं था क्योंकि उसका निर्वाचन पुराने अधिनियम के अधीन हुआ था और उस में मनोनीत सदस्य भी थे। इसलिये श्रीमान, आरम्भ में यह समझा गया था कि दोनों 'सभायें' पृथक-पृथक कार्य करेंगी किन्तु राजनैतिक क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से घटनायें घटित हुईं और अंग्रेजों ने यह निर्णय किया कि वे देश का विभाजन करके चले जायेंगे। किसी न किसी प्राधिकारी को उन्हें शक्ति समर्पित करनी थी। स्वभावतः, यह समझा गया कि पुरानी केन्द्रीय सभा लोगों का उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करती है जितना कि संविधान सभा करती है। उस समय देश में यदि कोई सभा लोगों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती थी तो वह संविधान सभा ही थी। इसलिये यह निर्णय किया गया कि संविधान सभा को ही शक्ति समर्पित की जाये और इस उद्देश्य से स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वाधीनता अधिनियम में यह उपबन्ध रखा गया कि यह सभा देश के लिये संविधान का निर्माण करेगी और साथ ही विधान-सभा का भी कार्य करेगी। यह उपबन्ध भारत-स्वाधीनता अधिनियम की धारा 8 में रखा गया। धारा 8 का खण्ड (1) इस प्रकार है:

> "प्रत्येक नवीन डोमिनियन में डोमिनियन के विधान-मंडल की डोमिनियन के संविधान के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने की शक्ति पहले उस डोमिनियन की संविधान सभा प्रयोग करेगी और इस अधिनियम में प्रयुक्त डोमिनियन के विधान-मंडल का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।"

इसके अतिरिक्त एक उपबन्ध खण्ड (2) के उपखण्ड (ङ) में भी है। भारत-स्वाधीनता अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (2) का उपखण्ड (ङ) इस प्रकार है:

> "प्रत्येक डोमिनियन में प्रयुक्त उस अधिनियम, अर्थात् भारत-शासन-अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधान-मंडल अथवा भारतीय विधान-मंडल की शक्तियां पहले उस डोमिनियन की संविधान सभा का इस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रयोग में आने वाली शक्तियों के अतिरिक्त प्रयोग में लायेगी।"

यह स्थिति थी जिसमें संविधान-सभा ने केवल संविधान निर्मात्र-सभा के रूप में बल्कि संघीय अथवा केन्द्रीय विधान-मंडल के रूप में भी अस्तित्व में आई। हमारी सरकार ने अन्तर्कालीन संविधानिक आदेश पारित करने की आवश्यकता का अनुभव किया, जिसके द्वारा भारत-शासन-अधिनियम की धारा 68 का उपखण्ड (2) निकाल दिया गया क्योंकि यदि वह बना रहता तो दुहरी सदस्यता नहीं बनी रहती। हमें स्वविवेक से निर्णय करना होता और यदि हम निर्णय नहीं करते तो हम केन्द्रीय विधान-मंडल के सदस्य बने रहते और प्रान्तीय विधान-मंडलों में हमारे स्थान रिक्त हो जाते। उस समय यह विचार किया गया कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय प्रशासन के हित में यह उचित नहीं है कि प्रान्तीय विधान-मंडलों के सदस्य अपनी प्रान्तीय विधान-सभाओं का कार्य छोड़ कर केन्द्रीय विधान-सभा का कार्य करें। इस कारण हमारे नेता ने एक प्रथा स्थापित करने के लिये एक पत्र जारी किया जिसमें यह कहा गया कि साधारणतया प्रान्तीय विधानमंडलों के सदस्य केन्द्रीय विधान-सभा के कार्य में भाग न लें। मैं संविधान-सभा का कोई पदाधिकारी नहीं हूं किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है प्रान्तीय विधान-मंडलों के सदस्यों ने उस पत्र के अनुसार कार्य किया। वे उत्तरदाई लोग हैं और मुझे विश्वास है कि उन्होंने उसी के अनुसार कार्य किया होगा।

इस संविधान-निर्माण के सिलसिले में अनुच्छेद 82 पारित कर चुके हैं जिसका खण्ड 1 (क) इस प्रकार है:

> "(1क) कोई व्यक्ति संसद तथा प्रथम अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा, यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहले ही त्याग न दिया हो।"

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 82 का खण्ड (1क) भारत-शासन-अधिनियम, 1935 की मूल धारा 68 के बहुत कुछ अनुरूप ही है और इनमें केवल इतना अन्तर है कि जहां धारा 68 के खण्ड (2) में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिये निर्वाचित हो जाए और वह गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित की हुई अवधि में उस अधिनियम के अधीन निर्णय न करे तो अवर सदन में उसका स्थान स्वत: रिक्त हो जायेगा किन्तु अनुच्छेद 82 (1क) में; न जाने किस कारण, मसौदा-समिति ने साधारण मार्ग से भिन्न मार्ग का अनुसरण किया है। साधारणतया इस स्थिति में सदस्यों के अवर सदन के स्थान रिक्त होते हैं न कि उच्च सदन के। मेरे विचार से यह एक विषमता है। किन्तु हम उस अनुच्छेद को पारित कर चुके हैं और उसकी चर्चा कर के मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस प्रश्न को अब इस समय उठाना उचित नहीं है।

इस अनुच्छेद को पारित करने के पश्चात् मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के अनुच्छेद की क्या आवश्यकता रह जाती है क्योंकि अनुच्छेद 82 (1क)

[श्री एच.वी. पातस्कर]

के अधीन, जिसे हम पारित कर चुके हैं, संविधान के प्रारम्भ होते ही वे सदस्य, जो प्रान्तीय विधान-मंडलों के भी सदस्य हैं इस सभा के सदस्य नहीं रह जायेंगे। निस्सन्देह उन्हें निर्णय करने की स्वतन्त्रता है किन्तु जो लोग निर्णय नहीं करेंगे वे लोग संविधान सभा में अपने स्थानों को खो बैठेंगे... (माननीय श्री के. सन्तानम् ने कुछ कहा)। श्री सन्तानम् कहते हैं कि संविधान के प्रारम्भ पर अनुच्छेद 82 प्रयोग में नहीं आयेगा। यदि संविधान 26 जनवरी को प्रारम्भ होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह उपबन्ध तब क्यों प्रयोग में नहीं आयेगा। यदि यह विचार किया गया है कि यह उस तिथि को प्रयोग में नहीं आयेगा तो मेरा निवेदन है कि अन्तरिम काल के लिये संविधान में इस प्रकार के उपबन्ध को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ स्थितियों के कारण, जिनका मैं वर्णन कर चुका हूं, इस सभा के कुछ सदस्य प्रान्तीय विधान-मंडलों के सदस्य भी थे। यदि किसी समय यह समझा गया कि देश का तथा प्रान्तों का हितसाधन एक प्रथा-सम्बन्धी पत्र निकालने से होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस समय केवल एक वर्ष के लिये, क्योंकि एक वर्ष बाद चुनाव होंगे, संविधान में इस प्रकार का विषम उपबन्ध क्यों रखा जा रहा है। यदि यह विचार किया जाता है कि इस प्रकार के प्रथा-सम्बन्धी पत्र के अनुसार कार्य न करके इस थोड़े से समय के लिये भी इस प्रश्न को अन्तिम रूप से हल कर दिया जाए तो इन सज्जनों से अच्छा व्यवहार करना था और इन्हें स्वविवेक से निर्णय करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिये थी, क्योंकि इससे अधिक अन्तर नहीं पड़ता। मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित किये गये थे। यदि उन्हें स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार दिया गया तो उस का यह अर्थ नहीं होगा कि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार प्राप्त होगा। इस का अर्थ यह होगा कि यह अधिकार कांग्रेस दल को प्राप्त होगा। यह उद्देश्य उपरोक्त ढंग से भी पूरा किया जा सकता था? इस ढंग से भी कांग्रेस दल को ही निर्णय का अधिकार प्राप्त होता और वास्तव में अभी तक कांग्रेस के सभी सदस्य उसके निर्णय के अनुसार ही कार्य करते रहे हैं।

इस स्थिति में जब हम हमेशा से सुचारू ढंग से कार्य करते आये हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि संक्रांति काल के लिये केवल एक वर्ष के लिये ही एक विशेष उपबन्ध क्यों रखा जा रहा है। इस उपबन्ध में कुछ कटुता है क्योंकि 6 अक्तूबर के पश्चात् कोई सदस्य किसी सभा में अपने स्थान को नहीं त्याग सकेगा। इसका यह अर्थ है कि इस सभा के बहुत से सदस्यों पर सन्देह किया जा रहा है। हम परिस्थितिवश बहुत काल से कार्य करते आये हैं और इस सभा के बाहर कई लोगों की तथा समाचारपत्रों की यह धारणा है कि हम अभी तक इसीलिये सदस्य बने हुए हैं कि हम 45 रुपये रोज कमाना चाहते हैं। समाचार-पत्रों में कई व्यंग-चित्र तथा लेख निकले हैं। इस स्थिति में इस उपबन्ध का यह अर्थ लगाया जायेगा कि जो लोग प्रान्तीय विधान-मंडलों के भी सदस्य हैं वे अपने दल का आदेश न मान कर तथा देश के हित का भी ध्यान न रखकर यहां बैठे हुए 45 रुपये रोज कमाना चाहते हैं। यह बहुत ही अनुचित धारणा है।

इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इस उपबन्ध को यहां रखने की आवश्यकता ही क्या है। इस उपबन्ध को निकाल देना चाहिये। इस उद्देश्य को पूरा करने के अन्य उपाय भी हैं। और कुछ न कह कर मैं इतना तो अवश्य कहूंगा

कि प्रान्तीय विधान-मण्डलों के सदस्यों के बारे में मिथ्या धारणा नहीं बनानी चाहिये। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे संशोधन संख्या 157 का उद्देश्य यह है कि सदस्यों को स्थान त्यागने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। मैं यह जानता हूं कि यह अधिकार हम जिस अनुच्छेद 82 (1क) को पारित कर चुके हैं उससे असंगत है। किन्तु वह 1935 के भारत शासन-अधिनियम से तथा संसार भर में जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है उनसे सुसंगत है। आप संसार के चाहे जिस संविधान को भी देखें आप को उस में इस आशय का एक उपबन्ध मिलेगा कि यदि कोई सदस्य उच्च सदन और अवर सदन दोनों के लिये निर्वाचित हो जाए और इस सम्बन्ध में निर्णय न करे कि वह किस सदन में रहेगा तो वह अवर सदन के स्थान को न कि उच्च-सदन के स्थान को खो बैठेगा। मेरे संशोधन का आधार यही सिद्धान्त है। हमारे सामने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के अन्य भी कई उपाय हैं।

मैं पहले यह निवेदन करता हूं कि वर्तमान व्यवस्था एक वर्ष और जारी रखी जाए। 1950-51 में निर्वाचन होंगे। प्रश्न केवल एक वर्ष का है। हम बहुत काल से यहां काम करते रहे हैं और कोई कारण नहीं है कि हम एक वर्ष और क्यों न काम करें। यदि यह सम्भव न भी हो तो सदस्यों को स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिये। सदस्यों को इस सम्बन्ध में अधिकार देने का अर्थ यह होगा कि कांग्रेस दल को अधिकार दिया जायेगा, यद्यपि कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो इस दल के नहीं हैं। यदि इस उपबन्ध को नहीं रखा जायेगा तो आसमान नहीं गिर जायेगा। मैं इस उपबन्ध को प्रान्तीय विधान-सभाओं के उन सदस्यों पर एक कलंक समझता हूं जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थिति-वश इस सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं और दो सभाओं के सदस्य हैं। मुझे इस उपबन्ध पर इसी कारण आपत्ति है। मुझे इस पर आपत्ति है कि जब हम अपना कार्य समाप्त करने को हैं, संविधान में एक ऐसा उपबन्ध रखा जा रहा है जिसका यह अर्थ किया जा सकता है कि हम लोग कुछ कारणों से यहां बने रहना चाहते हैं और हमें अपने प्रान्तों के प्रशासन की चिंता नहीं है। इसी कारण मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया है। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है उस पर इस सभा के सदस्य ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित कहरता हूं कि: "सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 1 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (3) में 'a House' (सदन) शब्दों के स्थान पर 'the Lower House (अवर सदन) शब्द रखे जाएं।"

मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के पश्चात् यह नवीन खण्ड प्रविष्ट किया जाए:

'(3a) If a member of the Constituent Assembly of the Dominion of India was on the twenty-sixth day of Jannuary, 1950, also a nominated member of the Legislative Council of a Governor's

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

Province, then, as from the date of commencement of this Constitution that person's seat in the said Assembly shall, unless he has ceased to be a member thereof earlier, become vacant, and every such vacancy shall be deemed to be a casual vacancy.' "

[(3क) यदि भारत-डोमीनियन की संविधान सभा का कोई सदस्य जनवरी, 1950, के छब्बीसवें दिन किसी राज्यपाल प्रान्त की विधान-परिषद् का मनोनीत सदस्य भी था तो इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि से उक्त विधान-सभा में उस व्यक्ति का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी।]

श्रीमान, उद्देश्य यह है कि संविधान-सभा के एक सौ से अधिक स्थानों के लिये उप-निर्वाचनों की आवश्यकता नहीं रहे। यदि सदस्यों को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि वे संविधान-सभा में रहना चाहते हैं या नहीं तो बहुत से स्थान रिक्त हो जायेंगे और सौ से अधिक स्थानों के लिये उपनिर्वाचन करने की आवश्यकता पड़ जायेगी। इस सम्बन्ध में मेरे अपने विचार हैं किन्तु इस समय संशोधन संख्या 160 में मैंने केवल यह सुझाव रखा है कि विधान-परिषदों के सदस्यों को निर्णय करने का अधिकार देना चाहिये। उन्हें यह निर्णय करना चाहिये कि वे यहां रहना पसंद करेंगे या प्रान्तीय विधान-परिषदों में। यदि वे यहां रहना पसन्द करते हैं तो उप-निर्वाचनों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे मनोनीत सदस्य हैं। सभी प्रान्तीय विधान-परिषदों में कांग्रेस का बहुमत है और सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी मनोनीत करेगी। मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर यह सभा तथा मसौदा-समिति के सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

मुझे इस संशोधन के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है। किन्तु यदि आपकी अनुमति हो तो जो अनुच्छेद उपस्थित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरी यह धारणा है कि इस सभा के सदस्यों को यह निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये कि वे यहां रहेंगे अथवा प्रान्तीय विधान-सभाओं में। यदि पश्चिमी बंगाल में सामान्य निर्वाचन करने में कोई कठिनाई नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि एक सौ स्थानों के लिये सामान्य निर्वाचन न हों। जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें देखते हुए मेरा यह विचार है कि इस संविधान के अधीन सामान्य निर्वाचनों को हम अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करने के लिये विवश होंगे। पाकिस्तान सरकार से, विशेषतया काश्मीर के मामले के कारण, हमारे सम्बन्ध तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मेरा अपना यह विचार है कि यह अन्तर्कालीन संसद पांच छः वर्ष तक चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता कि इस काल के पश्चात् संविधान के उपबन्ध प्रवर्तन में आ सकेंगे या नहीं। मेरी कुछ ऐसी धारणा है कि अन्तर्कालीन उपबन्धों को छोड़कर इस संविधान के अन्य उपबन्ध कभी भी प्रयोग में नहीं आ सकेंगे। इस दृष्टि से मेरा यह विचार

है कि अच्छा यह होगा कि हम इन सौ स्थानों के लिये उपनिर्वाचन करें क्योंकि बिना निर्वाचकों का मत लिये हुए किसी सभा को छः या सात वर्ष से अधिक समय तक चलाना उचित नहीं है। हम बने रहना चाहते हैं इसलिये देश में इस समय भी असंतोष बढ़ रहा है। हमें कुछ स्थानों के लिये निर्वाचकों का मत लेना चाहिये ताकि हमें ज्ञात हो सके कि हम पर उनका विश्वास है या नहीं। इसलिये उचित यही है कि इस देश में एक सामान्य उपनिर्वाचन किया जाए।

यदि मेरा यह विश्वास ठीक है कि संविधान के अधीन सामान्य निर्वाचन नहीं होने जा रहे हैं तो इस देश में हरिजनों तथा आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय के लिये स्थान सुरक्षित करने का अर्थ यह होगा कि हम संविधान के वाक्यों का तथा आशय का खंडन कर रहे हैं। इस कारण मैं अनुच्छेद 312(च) के मसौदे का विरोध करता हूं। उसमें सभी प्रकार के समुदायों के लिये स्थान सुरक्षित किये गये हैं। संविधान में हमने हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में उपबन्ध रखा है। उस उपबन्ध से मैं पूर्णतया सहमत हूं। अन्य समुदायों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं रखने चाहिये क्योंकि अन्य समुदायों को इस देश के अवशिष्ट लोगों के साथ घुल-मिल जाना चाहिये। यदि मुझे इसका थोड़ा भी विश्वास होता कि 1950 अथवा 1951 में सामान्य निर्वाचन होंगे तो मैं यह सुझाव नहीं प्रस्तुत करता। मुझे विश्वास है कि 1950 में अथवा 1951 में, सामान्य निर्वाचन नहीं होंगे। इसलिये हम पुराने जमाने की रूढ़ियों को क्यों बनाये रखें? हम अन्य समुदायों के लिये स्थान सुरक्षित क्यों रखें?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) में 'President may by rules' (राष्ट्रपति नियमों द्वारा) शब्दों के स्थान पर 'Parliament may by law' (संसद विधि द्वारा) शब्द रखे जाएं: और उस अनुच्छेद का खण्ड (4) निकाल दिया जाए।"

इस अनुच्छेद में हम अन्तर्कालीन संसद के सम्बन्ध में उपबन्ध रख रहे हैं और यह विचार किया गया है कि इस सभा में प्रान्तों तथा राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों को हटा कर जो सदस्य शेष रह जायेंगे वही संसद के सदस्य होंगे। इस अनुच्छेद के खण्ड (2) में संघीय संसद में उन राज्यों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे गये हैं जिनका अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। इस समय केवल हैदराबाद राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और इस लिये खण्ड (2) का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति को नियमों द्वारा हैदराबाद के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने की शक्ति दी गई है। मेरा अपना यह विचार है कि इस सभा के विघटित होने के पूर्व ही यहां हैदराबाद के प्रतिनिधि आ जायेंगे। नियमों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु हैदराबाद को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए उस पर संसद को विचार-विमर्श करने का अवसर मिलना चाहिये। इस खण्ड में यह प्रयास किया गया है। कि राष्ट्रपति नियमों के अधीन जिसे भी चाहेगा उस राज्य का प्रतिनिधि बन सकेगा

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

और संसद को उन नियमों पर विचार विमर्श करने का अवसर नहीं मिलेगा। मेरे विचार से यह उचित नहीं है। सर्वसत्ताधारी संसद होने के कारण उसे इस पर विचार-विमर्श करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि उसका सदस्य कौन होने जा रहा है, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है और जो नियम बनाये गये हैं वे स्वीकार किये जा सकते हैं या नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि राष्ट्रपति नियमों द्वारा इस प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे और जिस प्रकार नियम बनाये जाएं उसके सम्बन्ध में इस सभा को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हो।

तब आखिर यह राष्ट्रपति है कौन? अनुच्छेद 312 (च) में यह कहा गया है, यद्यपि अभी वह सभा के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है, कि 26 जनवरी तक श्रीमान, आप ही राष्ट्रपति रहेंगे और आपको इस प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके पश्चात् गणराज्य के राष्ट्रपति को अर्थात् मंत्रिमंडल को यह अधिकार प्राप्त होगा। मेरे विचार से इस सभा को दोनों अवस्थाओं में नियमों पर विचार-विमर्श करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। जब हमने काश्मीर के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में नियम बनाये थे तो इस सभा को उन पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सभा को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। किन्तु इस खण्ड में इन शब्दों को रख कर कि राष्ट्रपति नियम द्वारा यह कार्य करेगा आप संसद को इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं, जो अनुचित ही नहीं बल्कि जनतंत्र-विरोधी भी है। मैं यह मांग करता हूं कि हैदराबाद के सम्बन्ध में जो भी निर्णय किया जाए, और उसे जिस प्रकार भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, उस सम्बन्ध में नियम बनाने का अन्तिम प्राधिकार संसद को ही प्राप्त होना चाहिये।

मेरे संशोधन के दूसरे भाग का आशय यह है कि खण्ड (4) निकाल दिया जाए। अनुच्छेद 311-क में हम कह चुके हैं कि यह संविधान सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी। तब वह अध्यक्ष का भी निर्वाचन क्यों न करे? मेरी समझ में नहीं आता कि किस कारण अन्तर किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं है कि वही राष्ट्रपति तथा वही अध्यक्ष फिर निर्वाचित हो जायेंगे। किन्तु फिर भी यदि हम यह कहते कि यह सभा उन्हें फिर निर्वाचित करेगी तो यह अधिक जनतंत्र-सम्मत होता। जब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिये सहमत हो गये हैं तो हम अध्यक्ष का निर्वाचन भी क्यों न करें? अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति में अन्तर नहीं करना चाहिये। यद्यपि हम उन्हीं व्यक्तियों को चुनेंगे, क्योंकि अन्य व्यक्तियों को चुनने का कोई कारण नहीं है, किन्तु फिर भी मेरी यह धारणा है कि इस मामले में राष्ट्रपति तथा अध्यक्ष में अन्तर करना उचित नहीं है। यह एक प्रकार का विभेद है कि सभा राष्ट्रपति को तो फिर निर्वाचित करे और अध्यक्ष को फिर निर्वाचित न करे। सभा राष्ट्रपति तथा अध्यक्ष को फिर निर्वाचित करेगी। संविधान में इन दोनों के लिये एक ही उपबन्ध होना चाहिये, यही तर्कसंगत है।

कुछ मित्र खंड (3) के उपबन्धों के सम्बन्ध में बोले हैं। उस खण्ड पर आपत्ति की गई है और यह कहा गया है कि उन सदस्यों को, जो प्रान्तीय विधान-मंडलों के भी सदस्य हैं, यह निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे संसद

के सदस्य रहना चाहते हैं अथवा प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्य। मुझे यह मत मान्य है। यह संसद भविष्य की संसद हो जानी चाहिये और इस सभा में स्थान रिक्त न होकर इन सदस्यों के प्रान्तीय विधान-सभाओं में के स्थान रिक्त होने चाहिये और लोगों ने उनके लिये सदस्य निर्वाचित करने के लिये कहा जाना चाहिये। सारे देश में एक सौ स्थान बहुत स्थान नहीं हैं। इन उप-निर्वाचनों से यह भी ज्ञात हो जाता कि देश कांग्रेस का साथ दे रहा है या नहीं। इस प्रकार हम जनतंत्र की प्रणाली का भी अनुसरण करते और हमें यह भी ज्ञात हो जाता कि लोगों की क्या भावनाएं हैं। यद्यपि मैंने इस आशय के संशोधन की सूचना नहीं दी है, किन्तु मैं उन मित्रों से सहमत हूं जिनका यह विचार है कि यह सभा इसी रूप में बनी रहे और इस कारण प्रान्तों में जिन सदस्यों के स्थान रिक्त हो जाएं उन्हें सीधे-सीधे चुनाव से भरा जाए।

श्रीमान मेरे मित्र श्री कामत ने खण्ड (1) के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किये हैं उनका भी मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने जो शब्दावलि प्रस्तावित की है वह मसौदे की शब्दावलि से अच्छी है। मेरे विचार से मसौदा-समिति को इन संशोधनों पर विचार करना चाहिये और इन्हें मसौदे में समाविष्ट कर लेना चाहिये ताकि वह अधिक सुगठित और सुन्दर हो जाए।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): श्रीमान, क्या मुझे साधारणतया सारे अनुच्छेद पर अपने विचार प्रकट करने की आज्ञा है?

***अध्यक्षः** पहले आप अपने संशोधनों को उपस्थित करें।

***श्री महावीर त्यागीः** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (1) के अन्त में यह जोड़ दिया जाए:–

'and shall be known as the Parliament of the Union of India.' (और भारतीय संघ की संसद कही जायेगी।)"

मेरे नाम से अन्य संशोधन भी हैं किन्तु चूंकि अब डॉ. अम्बेडकर ने अपने नये संशोधन उपस्थित किये हैं जिनसे मेरे बहुत से संशोधनों का आशय पूरा हो जाता है इसलिये मैं अपने अवशिष्ट संशोधनों को नहीं उपस्थित करना चाहता।

इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है। प्रस्तावित अनुच्छेद 311 इस शीर्षक से आरम्भ होता है, "अन्तर्कालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबन्ध" "अन्तर्कालीन संसद" शब्द पहली बार इस शीर्षक में प्रयुक्त हैं। अनुच्छेद में कहीं यह नहीं कहा गया है कि कौन सभा अन्तर्कालीन संसद होगी। अनुच्छेद में किसी स्थल पर इस का उल्लेख होना चाहिये कि एक अन्तर्कालीन संसद होगी, किन्तु यह उल्लेख नहीं है। केवल डॉ. अम्बेडकर के अन्तिम संशोधन में यह कहा गया है कि इन आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के पश्चात् एक अन्तर्कालीन संसद निर्मित होगी। उन्होंने केवल आकस्मिक रूप से उसे

[श्री महावीर त्यागी]

"अन्तर्कालीन संसद" कहा है। इसलिये इसे स्पष्ट करने के लिये मैं पहले ही खण्ड में ये शब्द जोड़ना चाहता हूं:

"और वह भारतीय संघ की संसद कही जायेगी।" अपने पहले खण्ड में वे कहते हैं–

> "जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक रूप से गठित न हो जाएं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जाएं तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कृत्यकारी था इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

इसका मैं यह अर्थ लगाता हूं कि भारत डोमीनियन की संविधान सभा बनी रहेगी और वह सभा अन्तर्कालीन संसद का भी सभी कार्य करेगी। इसकी कहीं परिभाषा नहीं की गई है कि अन्तर्कालीन संसद क्या है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम इन शब्दों को प्रविष्ट करें: "और भारतीय संघ की संसद कही जायेगी।" मैं नहीं चाहता कि "अन्तर्कालीन" विशेषण संसद के साथ, अथवा अधिकारियों के साथ, अपना राष्ट्रपति आदि के साथ रखा जाए। केवल "संसद" शब्द ही रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है और मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्रीमान, इस अनुच्छेद पर सामान्यतः मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि डॉ. अम्बेडकर को तथा मसौदा-समिति को हमारे सामने इस प्रस्ताव को रखने की आवश्यकता पड़ी। इससे सामान्य निर्वाचन की व्यवस्था कहीं अच्छी होती। यह सुझाव कि यह संविधान सभा बनी रहेगी और प्रथम संसद के रूप में काम करेगी, मेरे विचार से जनतंत्र सम्मत नहीं है। अच्छा यह होता कि संविधान के प्रारम्भ के पूर्व तुरन्त ही एक निर्वाचन करते। सामान्य निर्वाचन के पश्चात् जो संसद बनती वह कार्य आरम्भ करती। यही उचित मार्ग था।

***श्री एल. कृष्णस्वामी भारती** (मद्रास: जनरल): किस मताधिकार के अधीन?

***श्री महावीर त्यागी:** यही उचित मार्ग होता क्योंकि तब संसद यह जानती कि लोगों के क्या विचार हैं और पदारूढ़ व्यक्ति जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते उनका उन पर पूर्ण विश्वास होता। श्रीमान, हम यहां एक परोक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप निर्वाचित होकर आये हैं और हमें प्रान्तों की उन विधान-सभाओं ने निर्वाचित किया है जिनका बहुत पहले अर्थात् 1946 के लगभग निर्वाचन हुआ था। तब से हम निर्वाचकों के सामने नहीं गये हैं। इस दृष्टि से यह अनुच्छेद, जिसे हम पारित करने जा रहे हैं, मेरे विचार से बहुत प्रतिगामी अनुच्छेद है।

यह प्रतीत होता है कि निर्वाचकों की सूचियों को तैयार करने में कुछ कठिनाई है क्योंकि अब मताधिकार वयस्क मताधिकार हो गया है। निर्वाचकों की पंजियों को तैयार करने में कुछ समय लगेगा और इस काल के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद को प्रस्तुत किया गया है। मैं अपने माननीय मित्र श्री सन्तानम के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि निर्वाचनों के लिये एक तिथि निश्चित कर दी जाए। तब तक हमें उन्हें समाप्त कर देना चाहिये। आखिर ये निर्वाचक सूचियां

तथा अन्य रस्में किसी समय तो समाप्त होनी ही चाहिये ताकि शक्ति वास्तव में लोगों के हाथ में जा सके। जब वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होंगे तभी संसद लोगों की प्रतिनिधि सभा होगी। चूंकि यह अनुच्छेद केवल अन्तरिम काल के लिये है इसलिये मुझे आशा है कि नये निर्वाचनों के लिये तैयार करने में अधिक समय नहीं लगाया जायेगा।

डॉ. अम्बेडकर ने एक अन्य संशोधन भी उपस्थित किया है जिसका आशय यह है कि इस सभा के उन सदस्यों के बारे में जो प्रान्तीय सभाओं अथवा प्रान्तीय विधान-मंडलों के भी सदस्य हैं, यह समझा जाएगा कि नये संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले दिन इस सभा में उनके स्थान रिक्त हो जायेंगे। यद्यपि ये स्थान संविधान के प्रारम्भ होने तक रिक्त नहीं होंगे किन्तु उसके पूर्व ही निर्वाचन द्वारा भर दिये जायेंगे। ये स्थान संविधान के प्रारम्भ से पूर्व रिक्त नहीं होंगे। उनके संशोधन के अधीन, ये अतिरिक्त स्थान रिक्त होने के पूर्व ही निर्वाचनों द्वारा भर दिये जायेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा यह होता कि वे यह कहते कि यहां जो विधान-सभाओं के सदस्य हैं उनके स्थान विधान के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन पूर्व रिक्त हो जायेंगे। इस पखवाड़े में परोक्ष निर्वाचन द्वारा हम इन स्थानों को भर देते ताकि जब संविधान प्रारम्भ होता, यह सभा भी पूर्ण होती। उचित मार्ग यही था। मैं अब भी यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि मसौदा-समिति कुछ ऐसे शब्द रखे जिनसे अर्थ बदल जाए और सरकार संविधान के प्रारम्भ से एक पखवाड़े पूर्व निर्वाचन कर सके और इन स्थानों के भरे जाने के पूर्व इन्हें रिक्त करा सके यह अधिक तर्कसंगत होगा।

खण्ड (3) का जो मसौदा अब प्रस्तावित किया गया है वह अधिक पूर्ण है। पहले मसौदे के अधीन केवल वे सदस्य नहीं बने रह सकते थे जो 6 अक्तूबर 1949 को स्थानीय विधान मंडलों के सदस्य थे। जो लोग 6 अक्तूबर 1949 के पश्चात् स्थानीय विधान-मंडलों के सदस्य हुए उन्हें अनर्ह नहीं कहा गया है। इस दृष्टि से यह नवीन प्रस्ताव पूर्ण है क्योंकि इसमें निर्धारित किया गया है कि यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य 6 अक्तूबर 1949 के दिन, अथवा तत्पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ से पहले किसी समय किसी राज्यपाल प्रान्त अथवा प्राथम अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था, अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था, तो इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इस से पहले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी। श्रीमान, यद्यपि ऐसे बहुत मामले नहीं होंगे, अथवा सम्भव है कि कोई भी मामला न हो, किन्तु इसे मसौदे में ऐसे सदस्यों के मामलों के लिये व्यवस्था कर दी गई है जो इस समय में प्रान्तीय विधान-मंडलों के सदस्य हुए हों। उन लोगों का क्या होगा जो प्रान्तीय विधान-सभाओं के सदस्य हैं और इस बीच इस सभा के सदस्य हुए हैं? यदि डॉ. अम्बेडकर के इस अन्तिम मसौदे का ठीक-ठीक निर्वचन किया जाए तो इन सदस्यों के स्थान, जो इस सभा के सदस्य हैं और जो 6 अक्तूबर को तथा उसके बाद किसी प्रान्त के विधान मंडल के सदस्य हुए, रिक्त समझे जायेंगे, अर्थात् उन सदस्यों के स्थान, जो इस सभा के सदस्य हैं, और 6 अक्तूबर को अथवा उसके पश्चात् प्रान्तीय विधान-सभाओं के भी सदस्य थे रिक्त

[श्री महावीर त्यागी]

समझे जायेंगे। उन लोगों का क्या होगा जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं किन्तु प्रान्तीय विधान-सभाओं के सदस्य हैं और इस काल में इस सभा के सदस्य हो गये हैं? उनकी भी दुहरी सदस्यता हो जायेगी और उनके स्थान रिक्त नहीं समझे जायेंगे।

इस प्रकार यह अनुच्छेद भी थोड़ा बहुत अपूर्ण ही है। मेरा यह सुझाव है कि मेरे सदस्यों के मामले भी इसके अन्तर्गत आ जाने चाहिये। जो लोग आज इस संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, अथवा जो लोग 6 अक्तूबर को अथवा उसके पश्चात् सदस्य नहीं थे, किन्तु 6 अक्तूबर को, उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कि संयुक्त प्रान्त के विधान-मंडल के सदस्य थे चाहे एक ऐसा सदस्य हो अथवा अधिक, क्योंकि संख्या कोई अर्थ नहीं रखती और इस बीच संविधान सभा के लिये निर्वाचित हो गये हैं, उनके मामले अन्त में प्रस्तावित मसौदे के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

***श्री एल. कृष्णस्वामी भारती:** ये शब्द उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में रखे गये हैं जो माननीय सदस्य महोदय की दृष्टि में हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** ऐसा कोई सदस्य प्रान्तीय विधान-सभा का सदस्य पहले से ही होगा और फिर वह इस सभा का सदस्य हो जायेगा। इस काल में जो व्यक्ति इस सभा का सदस्य हो जायेगा उस का मामला वैध रूप से इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा, किन्तु सम्भव है कि ऐसे कोई मामले पैदा ही न हों।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि मसौदा-समिति ने इस आशय का उपबन्ध रखा है कि सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बना रहेगा। यह भी कोई अच्छी भावना नहीं है। आखिर जब सभा के लगभग सौ ऐसे सदस्यों के स्थान जो प्रान्तीय विधान-सभाओं के भी सदस्य हैं, रिक्त घोषित कर दिये जायेंगे और उन स्थानों के लिये अन्य लोग निर्वाचित होंगे और जब इस सभा का एक तिहाई भाग बदला जा रहा है, तो आप उस पर पुराने ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्यों थोप रहे हैं? हमें केवल यह कहना चाहिये कि संसद के समवेत होने के प्रथम दिन तक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बने रहेंगे। उसके पश्चात् संसद को अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का नया निर्वाचन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जब संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है और दूसरा सत्र निर्वाचन के पश्चात् होता है तो इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है। संसद सबसे पहले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ही निर्वाचित करती है। साधारणतया पुराने ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। किन्तु यह रस्म पूरी की जाती है। बिना किन्हीं व्यक्तियों पर आक्षेप किये हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिद्धान्ततः गलत है कि वर्तमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को संसद पर थोपा जाए और मुझे आशा है कि उनका पुनर्निर्वाचन किया जायेगा। संविधान में यह उपबन्ध रखने से कि वे बने रहेंगे उन उच्च पदों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। उन पदों पर सभा का पूर्ण विश्वास होता है। यह उचित नहीं है कि स्वतन्त्रता से अपने पदाधिकारी चुनने में संसद के मार्ग में यह सभा बाधा डाले। हमें संसद के सदन के कार्य में बाधा न डालनी चाहिये। उसे सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् प्रथम बार समवेत होने पर अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

***अध्यक्षः** आप अधिक समय ले चुके हैं।

***श्री महावीर त्यागीः** मुझे एक प्रश्न पुछने के अतिरिक्त अब और कुछ नहीं कहना है। संविधान-सभा के ऐसे सदस्यों का क्या होगा जो किसी ऐसे प्रान्त से निर्वाचित हुए हों जहां की विधान-सभा विघटित हो गई हो और वहां नये निर्वाचन हो गये हों? थोड़ी देर के लिये मानिये कि बंगाल अथवा संयुक्त प्रान्त में सामान्य निर्वाचन हो गये हैं और वहां के प्रतिनिधि इस सभा में हैं। हमने उनके यहां बने रहने के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे हैं किन्तु क्या वे सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् भी बने रहेंगे, अथवा क्या उनसे अपने प्रान्तों की नवनिर्वाचित विधान-सभाओं का विश्वास प्राप्त करने को कहा जायेगा? यह भी स्पष्ट किया जाए।

***श्री सीता राम एस. जाजू** (मध्य भारत): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खण्ड (3) में 'an Indian State' (किसी देशी राज्य) शब्दों के पश्चात् 'or Union of State; or a member who holds any office of profit under any Government other than the ministerial office in the Union Government' अथवा राज्य-संघ; (अथवा ऐसा सदस्य जो संघ-सरकार के अधीन मंत्री-पद के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार के अधीन किसी लाभ-पद पर था) शब्द प्रविष्ट किये जाएं।"

मेरा संशोधन बहुत ही सादा और छोटा है। वास्तव में इस संशोधन में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसे यह संविधान सभा संविधान के अनुच्छेद 83 में स्वीकार कर चुकी है। मेरी यह धारणा है कि इस अन्तर्कालीन उपबन्धों में इसे प्रविष्ट कर लिया जाये ताकि इनके पारित होने पर किसी प्रकार का भ्रम न रह जाए। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 82 में हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि दुहरी सदस्यता समाप्त की जाती है, किन्तु किसी भ्रम की सम्भावना न रहने देने के लिये हम इसे यहां भी रख रहे हैं। इसलिये मुझे आशा है कि आगे के भाग के सम्बन्ध में भी किसी भ्रम की सम्भावना न रहने देने के लिये माननीय डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

***अध्यक्षः** मि. करीमुद्दीन—अनुपस्थित हैं। श्री गुरुव रेड्डी—अनुपस्थित हैं। श्री सिधवा आपने एक संशोधन की सूचना दी थी, जिसके बारे में मैंने वचन दिया था कि वह इनके साथ उठाया जायेगा। मेरे विचार से इस प्रसंग में अब वह नहीं उठता।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): जी हां।

***अध्यक्षः** और कोई संशोधन नहीं है। अब संशोधनों तथा अनुच्छेद पर बहस हो सकती है।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार: जनरल): मैं प्रार्थना करता हूं कि अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।

***अध्यक्ष:** सम्भव है कि कुछ सदस्य बोलना चाहें। मैं उन सदस्यों में से जो अभी तक नहीं बोले हैं केवल एक दो को बोलने की आज्ञा दूंगा। जिन सदस्यों ने संशोधन उपस्थित नहीं किये हैं उनमें से क्या कोई सज्जन बोलना चाहते हैं?

***श्री मोहम्मद ताहिर:** (बिहार: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं और मैं उसे सभा के सामने रखना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अनुच्छेद का खण्ड (1) उसका एक सारवान अंश है। उसमें कहा गया है कि:–

> "जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक रूप से गठित न हो जाएं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशन होने के लिये आहूत न हो जाएं तब तक वह निकाय, जो भारत-डोमिनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले कृत्यकारी था, इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

इस अनुच्छेद के इस सारवान अंश का यह अर्थ है कि जो निकाय इस समय कृत्यकारी हैं अर्थात् जिस निकाय में इस समय इस सभा के सदस्य हैं, वह संविधान के प्रारम्भ होने पर संसद हो जायेगा।

विधि के सारवान अंश का अर्थ यह होता है कि वह आगे के उपबन्धों पर लागू होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि खण्ड (1) जो इस अनुच्छेद का सारवान अंश है इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों पर, अर्थात खण्ड (2) और (3) पर, लागू होगा। किन्तु हम यहां देखते हैं कि बात बिल्कुल इसके विपरीत है। सब कुछ उलट-पलट दिया गया है। वास्तव में खण्ड (3) इस अनुच्छेद के सारवान अंश पर लागू होता है, जो मेरे विचार से अवैध है क्योंकि खण्ड (1) में कहा गया है कि यह निकाय भारत डोमोनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करेगा, जबकि खण्ड (3) के अधीन संविधान-सभा पूर्णत: तो नहीं किन्तु अंशत: विघटित होगी। वास्तव में खण्ड (3) के फलस्वरूप एक एक भाग कर के इस सभा का पूर्णत: विघटन हो जायेगा। मेरे विचार से खण्ड (3) की आवश्यकता नहीं है और इसे इस अनुच्छेद में प्रविष्ट न करना चाहिये।

जब यह सभा डोमिनियन संसद का रूप धारण कर लेगी तो यह प्रश्न उठेगा कि कुछ सदस्य डोमिनियन संसद तथा प्रान्तीय विधान सभा दोनों के सदस्य होंगे। इसके लिये श्रीमान, हम एक अनुच्छेद पारित कर चुके हैं। मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 82 की ओर आकृष्ट करता हूं जिसकी व्याख्या मेरे एक मित्र कर चुके हैं। कुछ सदस्यों के इस सभा के तथा प्रान्तीय विधान-मंडल दोनों के सदस्य होने पर जो समस्या उठ खड़ी होगी उसे इस अनुच्छेद में हल किया गया है। किन्तु

खण्ड (3) के समान किसी खण्ड को प्रविष्ट करने से सारा संविधान गंदा हो जायेगा। इसलिये मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस पर विचार करेंगे। इस अनुच्छेद में जो उपखण्ड रखे गये हैं वे उसके सारवान अंश पर लागू नहीं होने चाहियें।

इन शब्दों के साथ श्रीमान, मैं समाप्त करता हूं।

***अध्यक्षः** डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बईः जनरल): श्रीमान, इस विषय के सम्बन्ध में अपनी बातें कहने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप की आज्ञा से संशोधन संख्या 195 के खण्ड (3) में 'thereafter' (तत्पश्चात्) शब्द के पश्चात् तथा 'at any time before...' (इस संविधान के प्रारम्भ से पहले) शब्दों के पूर्व आने वाला शब्द 'becomes' (होता है) निकाल दिया जाए। यह शब्द अनावश्यक है।

विभिन्न संशोधनों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन में से केवल तीन पर विचार करने की आवश्यकता है। पहला संशोधन मेरे मित्र श्री कामत का है, जो यह कहते हैं कि इस अनुच्छेद के खण्ड 4 में केन्द्र के उपाध्यक्ष को बनाये रखने के सम्बन्ध में तो उपबन्ध है किन्तु प्रान्तों के अध्यक्षों को बनाये रखने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। मैं तथा मसौदा-समिति यह जानते थे कि इन उपबन्धों में यह विभेद है और इसे दूर करने के लिये हम एक संशोधन भी उपस्थित करना चाहते थे। इसलिये मैं श्री कामत को विश्वास दिलाता हूं कि मसौदा-समिति इस विभेद को नहीं रहने देगी और एक संशोधन द्वारा इस त्रुटि को दूर करेगी।

दूसरा प्रश्न जिसमें कुछ सार है, मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्ले ने उठाया था। वह अन्तर्कालीन संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में था। स्थिति इस प्रकार है। इस सभा में इस समय 310 सदस्य हैं और अन्तर्कालीन संसद में भी 310 सदस्य ही रहेंगे। भावी संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा और इस सिद्धान्त के अनुसार इन 310 स्थानों में से 45 स्थान उन को मिलने चाहिये। आज उन्हें केवल 28 स्थान प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट उपबन्ध रख दिया गया है कि इस समय उनके पास जो 28 स्थान हैं वे कम नहीं किये जायेंगे। जहां तक जिन 45 स्थानों को उन्हें पाने का अधिकार है और इस समय के उनके 28 स्थानों के अन्तर का सम्बन्ध है, मेरे विचार से राष्ट्रपति को नियमों के अनुकूलन के लिये तथा उनमें रूप-भेद करने के लिये पर्याप्त शक्ति दी गई है और वे नवीन अनुच्छेद 312 च के उपबन्धों के अधीन इस कमी को यथा सम्भव पूरा कर सकते हैं।

अब मैं श्री पातस्कर का संशोधन उठाता हूं। जहां तक मैं उनके आशय को समझ पाया हूं, उनके संशोधन में तथा अनुच्छेद के मसौदे में सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं है। मेरे उपस्थित किये हुए अनुच्छेद 311 में तथा श्री पातस्कर द्वारा उपस्थित किये हुए संशोधन में यही कहा गया है कि दुहरी सदस्यता को समाप्त किया जाये। प्रश्न केवल यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार की जाए। इस अनुच्छेद के उपबन्धों में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारम्भ होने पर ही स्थान रिक्त

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

होंगे। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि संविधान 26 जनवरी को प्रवर्तन में आयेगा तो वे 25 जनवरी, 1950, तक सदस्य बने रहेंगे। किन्तु इस प्रकार जो स्थान रिक्त होंगे उनके लिये संविधान के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय निर्वाचन हो सकते हैं। इससे जब संविधान सभा अन्तर्कालीन संसद के रूप में समवेत होगी उसके सदस्यों की संख्या एकाएक कम नहीं हो जायेगी। मेरे मित्र पातस्कर यह चाहते हैं कि संविधान के प्रारम्भ होने पर स्थान रिक्त हों और उसके एक मास पश्चात् लोगों को स्थानों से हटाया जाए। अन्तर केवल इतना है। मेरे विचार से यह प्रश्न केवल इसके सम्बन्ध में है कि हम स्थानों को कब से रिक्त घोषित करें और कब से लोगों को उनसे हटायें। हमने किसी सदस्य के बने रहने के सम्बन्ध में 6 अक्तूबर, 1949, की तिथि इस लिये रखी है कि संविधान-सभा का यह सत्र इसी तिथि से आरम्भ हुआ है। मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता कि 6 अक्तूबर, 1949, की तिथि का कोई विशेष महत्व है और मेरे विचार से श्री पातस्कर भी यह नहीं कहेंगे कि अपने संशोधन द्वारा उन्होंने जिस उपबन्ध को प्रस्तुत किया है उसका कोई विशेष महत्व है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं है और हम सभी इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि दुहरी सदस्यता न रखनी चाहिये। इसलिये, मेरे विचार से, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है...

***श्री एच.वी. पातस्करः** मेरे संशोधन द्वारा सदस्यों को स्वयं निर्णय करने का अधिकार मिल जाता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इससे, मेरे विचार से, बहुत पेचीदगी पैदा हो जायेगी। यदि सदस्यों को स्वेच्छा से निर्णय करने का अधिकार दिया गया तो उससे पेचीदगी पैदा हो जायेगी, क्योंकि सम्भव है कि जिस दोष को हम दूर करना चाहते हैं उसकी पुनरावृत्ति हो। हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिये कि इस दोष की पुनरावृत्ति न हो। इसलिये मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि अनुच्छेद 311 के उपबन्ध स्वीकार कर लिये जायें।

***श्री राम सहाय** (मध्य भारत): श्री सीताराम जाजू ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह कैसा है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** हम जानते थे कि यह प्रश्न उठेगा। इस कारण मैंने अपने संशोधन संख्या 195 में रूपभेद किया और उसमें देशी राज्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखा। मैंने केवल उन लोगों के सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं रखे जो लाभ-पद पर आरूढ़ हैं।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर एक एक करके मत लूंगा। खण्ड (1) के सम्बन्ध में संशोधनों की पहली शृंखला, अर्थात् संशोधन संख्या 142 से लेकर 145 तक, श्री कामत के नाम से हैं।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड 1 में 'until' (जब तक कि) शब्द के पश्चात् (हिन्दी में पहले) 'such time as' (उस समय तक) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 में से 'the body functioning as, (वह निकाय जो कृत्यकारी था) शब्द निकाल दिये जाएं"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 में 'Constituent Assembly of the Dominion of India' (भारत डोमीनियन की संविधान सभा) शब्द जहां कहीं आये हों उनके स्थान पर 'Constituent Assembly of India' (भारत की संविधान सभा) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 में खंड (1) में, 'immediately before the commencement of this Constitution shall' (इस संविधान के आरम्भ के ठीक पहले कृत्यकारी था, अन्तर्कालीन संसद होगा) शब्दों के स्थान पर 'shall itself' (अन्तर्कालीन संसद होगा) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या 146 पर मसौदा समिति ही विचार करे।

***अध्यक्षः** अब मैं श्री त्यागी के संशोधन संख्या 194 पर मत लेता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (1) के अन्त में यह जोड़ दिया जाए:–

'and shall be known as the Parliament of the Union of India' (और भारतीय संघ की संसद कही जाएगी।)"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** खंड (1) के संबंध में यही संशोधन है। खंड (2) के संबंध में जो संशोधन हैं उन पर अब मैं एक एक करके मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:–

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) में 'rules' (नियमों द्वारा) शब्द के पश्चात् 'which shall as far as practicable, conform to those adopted by the Constituent Assembly' (जो यथा संभव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुरूप होंगे) शब्द प्रविष्ट किये जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब संशोधनों की एक शृंखला आती है। ये संशोधन श्री मुनिस्वामी पिल्ले के नाम से हैं।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लेः** माननीय डॉ. अम्बेडकर ने जो आश्वासन दिया है उसे दृष्टि में रखते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी संशोधन पर मत लिया जाए।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल): मैं नहीं चाहता कि इन संशोधनों को, जिनकी सूचना मैंने भी दी थी वापस लिया जाए।

***अध्यक्षः** उन्हें श्री मुनिस्वामी पिल्ले ने उपस्थित किया था। मैं उन पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) उपखंड (क) में 'of any State or other territory' (किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य क्षेत्र के) शब्दों के स्थान पर 'of a Governor's Province or Indian State' (किसी राज्यपाल-प्रांत या देशी राज्य के) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपखंड (क) में 'not represented' (प्रतिनिधित्व न था) शब्दों के स्थान पर 'not adequately represented' (पर्याप्त प्रतिनिधित्व न था) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपखंड (क) में 'commencement of this Constitution'

(इस संविधान के प्रारम्भ) शब्दों के पश्चात् (हिंदी में अन्त में) 'having due regard to the proper representation of the Scheduled Castes' (अनुसूचित जातियों के यथोचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) में यह नवीन उपखंड प्रविष्ट किया जाए:

'(d) the election of a Speaker or Deputy Speaker for the Parliament'.

(संसद के लिये अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन)"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन संख्या 178 के भाग 1 पर मत लेता हूं जो खंड (2) के संबंध में है। प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (2) में 'President may by rules' (राष्ट्रपति नियमों द्वारा) शब्दों के स्थान पर 'Parliament may by law' (संसद विधि द्वारा) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब हम खंड (3) के संबंध में उपस्थित किये गये संशोधनों को उठायेंगे।

संशोधन संख्या 155, जो श्री कामत के नाम से है प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) में 'An Indian State' (किसी देशी राज्य) शब्दों के पश्चात् 'or Union of States' (अथवा राज्य-संघ) शब्द प्रविष्ट किये जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के अन्त में 'within the meaning of the Rules of Procedure and Standing Orders of the Constituent Assembly.'

[अध्यक्ष]

(संविधान-सभा के प्रक्रिया-नियमों को तथा स्थाई आदेशों के आशय के अन्तर्गत) शब्द जोड़ दिये जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अगला संशोधन, जिस पर मत लेना है, संशोधन संख्या 195 पर संशोधन संख्या 156 है, जिसे श्री मुनिस्वामी पिल्ले ने कुछ रूप भेद के साथ उपस्थित किया है।

प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधन संख्या 195 में अन्तिम पंक्ति में 'and' (और) से आरम्भ होने वाले सभी शब्द निकाल दिये जाएं और यह जोड़ दिये जायें:

'A member in two Assemblies shall resign his membership in the Legislature of a Governor's province or an Indian State thirty days prior to this Constitution coming into effect.' "

[दोनों सभाओं का सदस्य इस संविधान के प्रारम्भ से तीस दिन पूर्व राज्यपाल प्रांत अथवा देशी राज्य के विधान-मंडल की अपनी सदस्यता का परित्याग कर देगा।]

संशोधन गिर गया।

***श्री एच.वी. पातस्करः** श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** अब मैं खंड (3) के संबंध में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद तथा श्री सीता राम जाजू के संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) में 'a House' (सदन) शब्दों के स्थान पर 'the lower House' (अवर सदन) शब्द रखे जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के पश्चात् यह नवीन खंड प्रविष्ट किया जाए:-

'3(a) If a member of the Constituent Assembly of the Dominion of India was on the twenty-sixth day of January, 1950, also a

nominated member of a Legislative Council of a Governor's province, then, as from the date of commencement of this Constitution that person's seat in the said Assembly shall, unless he has ceased to be a member thereof earlier, become vacant, and every such vacancy shall be deemed to be a casual vacancy.' "

[(3क) यदि भारत-डोमिनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य जनवरी, 1950, के छब्बीसवें दिन किसी राज्यपाल-प्रांत की विधान-परिषद् का मनोनीत सदस्य भी था तो इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि से उक्त विधान सभा में व्यक्ति का स्थान यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त हो गया हो, रिक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायगी]

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) में 'an Indian State' (किसी देशी राज्य) शब्दों के पश्चात् 'or Union of State; or a member who holds any office of profit under any Government other than the ministerial office in the Union Government' (अथवा राज्य-संघ; अथवा ऐसा सदस्य जो संघ सरकार के अधीन मंत्रि-पद के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार के अधीन किसी लाभ-पद पर था) शब्द प्रविष्ट किये जाएं।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मैं खंड (4) के संबंध में जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन पर मत लूंगा।

***श्री एच.वी. कामतः** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान, चूंकि माननीय डॉ अम्बेडकर यह आश्वासन दे चुके हैं कि यह विभेद दूर किया जाएगा इसलिये मैं इस पर जोर नहीं देता कि मेरे संशोधन संख्या 161 तथा 162 पर मत लिया जाए।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन संख्या 178 के दूसरे भाग पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 का खंड (4) निकाल दिया जाए।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 311 के सम्बन्ध में सभी संशोधनों पर मत लिया जा चुका है। अब मैं पहले इस अनुच्छेद के खण्डों पर मत लूंगा।

***श्री महावीर त्यागीः** मेरे संशोधन पर मत नहीं लिया गया है।

***अध्यक्षः** मैंने उस पर मत लिया किन्तु उसके पक्ष में किसी ने मत नहीं दिया।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 311 का खंड (1) संविधान का अंग बना लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 311 का खंड (2) संविधान का अंग बना लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 9 के खंड (3) के स्थान पर संशोधन संख्या 195 आ गया है। संशोधन संख्या 195 की दूसरी पंक्ति से 'होता है' शब्द निकाल दिये गये हैं और शेष अंश पहले के समान ही हैं।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के स्थान पर यह रखा जाए:–

'3(a) If a member of the Constituent Assembly of the Dominion of India was on the sixth day of October, 1949, or thereafter at any time before the commencement of this Constitution a member of a House of the Legislature of a Governor's Province or an Indian State corresponding to any State for the time being specified in Part III of the First Schedule or a Minister for any such State, then as from the date of commencement of this Constitution the seat of such member in the Constituent Assembly shall, unless he has ceased to be a member of that Assembly earlier, become vacant and every such vacancy shall be deemed to be a casual vacancy.' "

[3(क) यदि भारत-डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य 1949 के अक्तूबर के छठे दिन, अथवा तत्पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ से पहले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रांत, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (3) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था, अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर संविधान सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी।]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के पश्चात् यह नवीन खंड प्रविष्ट किया जाये:–

'3(a) Notwithstanding that any such vacancy in the Constituent Assembly of the Dominion of India as is mentioned in clause (3) of this article has not occurred under that clause, steps may be taken before the commencement of this Constitution for the filling of such vacancy, but any person chosen before such commencement to fill the vacancy shall not be entitled to take his seat in the said Assembly until after the vacancy has so occurred.' "

[3(क) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमीनियन की संविधान सभा में ऐसी कोई रिक्तता, जैसी इस अनुच्छेद के खंड (3) में वर्णित है, उस खंड के अधीन नहीं हुई है इस संविधान के प्रारम्भ से पहले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया जा सकेगा किंतु ऐसे प्रारम्भ से पहले उस रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हक तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता इस प्रकार न हो जाये।]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 311 का खंड (4) संविधान का अंग बना लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 311, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 311, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया।

अनुच्छेद 312-च

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 312-ङ के पश्चात् यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाए:–

Provision as to the filling of casual vacancies in the provisional Parliament and provisional legislatures of the States.

'312.F (1) Casual vacancies in the seats of members of the provisional Parliament functioning under clause (1) of article 311 of this Constitution [including vacancies referred to in clauses (3) and (3a) of that article] shall be filled, and all matters in connection with the filling of such vacancies (including the decision of doubts and disputes arising out of, or in connection with elections to fill such vacancies) shall be regulated—

(a) in accordance with such rules as may be made in this behalf by the President, and

(b) until rules are so made, in accordance with the rules relating to the filling of casual vacancies in the Constituent Assembly of the Dominion of India and matters connected therewith in force at the time of the filling of such vacancies or immediately before the commencement of this Constitution, as the case may be, subject to such exceptions and modifications as may be made therein before such commencement by the President of that Assembly and thereafter by the President of the Union:

Provided that where any such seat as is mentioned in this Article is, immediately before it becomes vacant, held by a person belonging to the

Scheduled Castes or to the Muslim or the Sikh community and representing a State for the time being specified in Part I of the First Schedule, the person to fill such seat shall, unless the President of the Constituent Assembly or the President of the Union, as the case may be, considers it necessary or expedient to provide otherwise, be of the same community:

Provided further that an election to fill any such vacancy in the seat of a member representing a State for the time being specified in Part I of the First Schedule, every member of the Legislative Assembly of that State shall be entitled to participate and vote.' "

अन्तर्कालीन संसद तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान मंडलों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के बारे में उपबन्ध।

[312.च (1) इस संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड (3) और (3क) में निर्दिष्ट रिक्ततायें भी हैं तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से सम्बद्ध सब विषयों का (जिनके अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन—

(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनायें, उनके अनुसार, तथा

(ख) जब तक इस प्रकार नियम न बने तब तक यथास्थिति भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में की आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के समय, अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले वैसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वैसे प्रारम्भ से पहले उस सभा का सभापति तथा तत्पश्चात् संघ का राष्ट्रपति जो अपवाद और रूप भेद करे उनके अधीन रह कर उन नियमों के अनुसार, होगा:

परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में वर्णित है, रिक्त होने से ठीक पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिख समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रांत का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (1) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक कि यथास्थिति संविधान सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा:

परन्तु यह और भी कि किसी प्रांत या प्रथम अनुसूची के भाग (1) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्तता की पूर्ति करने के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रांत की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग लेने और मत देने का हक होगा।]

अब मैं अपना संशोधन संख्या 205 उपस्थित करूंगा जिसमें दूसरी व्याख्या को रखने का प्रस्ताव रखा गया है।

"सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खंड (1) की व्याख्या के स्थान पर यह व्याख्या रखी जाए:

'*Explanation*—For the purposes of this clause—

(a) all such castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes as are specified in the Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936, to be Scheduled Castes in relation to any Province shall be deemed to be Scheduled Castes in relation to that Province or the corresponding State until a notification has been issued by the President under clause (1) of article 300A specifying the Scheduled Castes in relation to that corresponding State;

(b) all the Scheduled Castes in any Province or State shall be deemed to be a single community.' "

[*व्याख्या*—इस खंड के प्रयोजन के लिए—

(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों को जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश 1936 में किसी प्रांत के संबंध में अनुसूचित जातियों के नाम से उल्लिखित हैं वे तब तक उस प्रांत अथवा तत्स्थानी राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस तत्स्थानी राज्य के संबंध में अनुच्छेद 300-क के खंड (1) के अधीन अनुसूचित जातियों को उल्लिखित करने की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा न निकाल दी गई हो;

(ख) किसी प्रांत या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समझी जायेंगी।]

अब मैं उपखंड (2) उठाता हूं:

"(2) Casual vacancies in the seats of members of a House of the provisional Legislature of a State functioning under article 312 or article 312C of this Constitution shall be filled, and all matters in connection with the filling of such vacancies (including the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with elections to fill such vacancies) shall be regulated in accordance with such provisions governing the filling of such vacancies and regulating such matters as were in force immediately before the commencement of this Constitution subject to such exceptions and modifications as the President may by order direct."

[(2) अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 312-ग के अधीन कृत्यकारी राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसक्त सब विषयों का (जिनके अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय भी है) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रवृत्त थे, ऐसे अपवादों और रूप भेदों के अधीन रहकर, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करे, होगा।]

मेरे विचार से इस संबंध में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये उपबन्ध स्पष्ट हैं। यदि बहस में कोई प्रश्न उठाया गया तो मुझ से जैसी भी व्याख्या बन पड़ेगी मैं करूंगा।

***अध्यक्ष:** इस संबंध में चार या पांच संशोधन हैं? संशोधन संख्या 179, श्री शिब्बन लाल सक्सेना।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, छापे की कुछ गलतियां रह गई हैं। मैं अपना संशोधन इस रूप में उपस्थित करता हूं–

"सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खंड (1) से उसका पहला परन्तुक निकाल दिया जाए।"

मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खंड (2) 'as the President may by order direct' (जैसे राष्ट्रपति

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

आदेश द्वारा निर्देशित करे) शब्दों के स्थान पर 'as the Parliament may by law provide' (जैसे संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे) शब्द रखे जाएं।"

श्रीमान, इस अनुच्छेद में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के संबंध में उपबन्ध हैं और खंड (1) के परन्तुक का आशय यह है कि इस सभा में जिन सदस्यों के स्थान रिक्त हों उन्हीं के समुदाय के लोग उन्हें भरें। मैं चाहता हूं कि यह परन्तुक निकाल दिया जाए। मैं मुख्यतः इस कारण इस परन्तुक को निकालना चाहता हूं: सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सहमति से हमने संविधान में यह उपबन्धित किया है कि अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिये किसी प्रकार के स्थान रक्षित नहीं रखे जायेंगे। इस परन्तुक के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों को कोई लाभ नहीं होगा। अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर इस सभा में लगभग 45 स्थान मिलने चाहिये थे किन्तु उन्हें लगभग 28 स्थान ही प्राप्त हैं। यदि इस परन्तुक का अक्षरशः अनुसरण किया गया तो उनके प्रति न्याय नहीं होगा।

श्रीमान, अन्य लोगों के संबंध में हम यह निर्णय कर चुके हैं कि सामान्य निर्वाचनों में उनके लिये कोई स्थान रक्षित नहीं किये जाने चाहिये। यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों विचार किया जाता है कि प्रांतों में विधान-मंडलों के सदस्य उनके प्रति न तो उदारता ही दिखायेंगे और न न्याय ही करेंगे। यदि देश के निरक्षर लोगों पर इसके लिये विश्वास किया जाता है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को यथोचित अनुपात में निर्वाचित करेंगे तो प्रांतों के विधान-मंडलों के सदस्यों का और भी अधिक विश्वास किया जाना चाहिये। वे ज्ञानवान तथा उत्तरदाई लोग होंगे और सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे तथा अल्पसंख्यकों को यथोचित संख्या में ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक संख्या में निर्वाचित करने का प्रयास करेंगे। चूंकि प्रांतीय विधान सभाओं के अधिकांश सदस्य कांग्रेसजन होंगे, और कांग्रेस संसदीय मंडली खड़े किये जाने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी, इसलिये मुझे विश्वास है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति न्याय करेंगे। इसलिये श्रीमान, मैं नहीं चाहता कि हमारे संविधान में यह विकृत परन्तुक रहे। मुसलमानों, सिखों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति कांग्रेस की संसदीय मंडली तथा प्रांतीय विधान-सभायें अवश्य ही बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी। इस परन्तुक के फलस्वरूप वे उतने अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधीन उन्हें केवल वही सीमित स्थान प्राप्त होंगे जो उन्हें इस समय प्राप्त हैं। अनुसूचित जातियों के लिये तो यह व्यवस्था ही है क्योंकि उसके अधीन इस सभा के लिये अनुसूचित जातियों के सदस्य तभी निर्वाचित किये जा सकेंगे जब अनुसूचित जातियों के स्थान रिक्त होंगे। इससे मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल ने उनके प्रति जो न्याय किया था वह चिरस्थाई हो जायेगा। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल ने उन्हें विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के अनुपात से स्थान प्रदान किये। इसलिये खंड (1) के परन्तुक को निकाल देना चाहिये क्योंकि हमारी दृष्टि में जो उद्देश्य है उसकी इससे पूर्ति नहीं होगी। मेरे विचार से मुसलमानों और सिखों की यह धारणा नहीं है कि केन्द्रीय विधान मंडल के लिये जो उप-निर्वाचन होंगे उनमें उन्हें यथोचित स्थान प्राप्त नहीं होंगे। अनुसूचित जातियों के

लोग भी यह नहीं चाहते कि जो स्थान उन्हें इस समय प्राप्त है वही उनके पास रहे। वे अधिक स्थान चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति इस उपबन्ध को निकालने से ही हो सकती है।

अपने संशोधन संख्या 180 द्वारा मैं आकस्मिक रिक्तताओं के संबंध में जो शब्द, अर्थात् "जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करे" शब्द प्रयुक्त हैं उनके स्थान पर "जैसे संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे" शब्दों को रखना चाहता हूं। इसे मैं उन्हीं कारणों से उपस्थित कर रहा हूं जिन्हें मैं पहले संशोधन के संबंध में बता चुका हूं। मेरे विचार से स्थानों को भरने के बारे में नियम बनाने के संबंध में अन्तिम प्राधिकार संसद को ही प्राप्त होना चाहिये। इस संबध में राष्ट्रपति को भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये। जो सभा संविधान बना रही है वही संसद भी होगी। आखिर वह आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के नियमों को मंजूर क्यों न करे? मेरे विचार से न्यायोचित यही है। राष्ट्रपति के स्थान पर यह अधिकार संसद को प्राप्त होना चाहिये।

श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312 च के खंड (1) के पहले परन्तुक में 'the Scheduled Castes or' (अनुसूचित जातियों का अथवा) शब्दों के पश्चात् 'Scheduled Tribes' (अनुसूचित आदिम-जातियों का) शब्द प्रविष्ट किये जाएं।"

डॉ. अम्बेडकर ने जो नवीन संशोधन उपस्थित किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उसके अन्तर्गत सभी जातियां, मूलवंश, आदिम-जातियां अथवा जातियों में के यूथ आ जाते हैं। ताकि नवीन संशोधन में जो कुछ कहा गया है वह अनुच्छेद के अनुरूप हो सके इसलिये अच्छा यह होगा कि "अनुसूचित जातियों" शब्दों के पश्चात् "अनुसूचित आदिम-जातियों" शब्द रखे जाएं। इस अनुच्छेद के संबंध में मैं सामान्यत: यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 311 पर विचार-विमर्श करते समय मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि अन्तर्कालीन संसद में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। मैं डॉ. अम्बेडकर को यह स्पष्ट करने के लिये धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रपति इस अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करेंगे और अनुसूचित जातियों को जितने स्थान मिलने चाहिये उतने स्थान उनको प्रदान करेंगे। मैं पहले परन्तुक के अन्तिम वाक्य का स्वागत करता हूं, जो इस प्रकार है: "जब तक कि यथा स्थिति संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा।" आरम्भ में यह विचार किया गया था कि चूंकि संविधान सभा में हमने केवल 28 सदस्य लिये थे इसलिये अन्तर्कालीन संसद में भी केवल 28 ही सदस्य लिये जायेंगे। बाद में यह विचार किया गया कि यदि किसी समुदाय के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो तो उसी समुदाय का एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। यह एक कमी थी। प्रश्न यह था कि क्या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना थी। इस संशोधन के फलस्वरूप, अथवा जो उपबन्ध रखा गया है उसके फलस्वरूप, मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जातियों को जितने स्थान मिलने चाहिये उतने स्थान उनको मिल जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***पंडित ठाकुर दास भार्गव:** (पूर्वी पंजाब: जनरल): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: "सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312'च के खंड (1) के पहले परन्तुक में से 'or to the Muslim or the Sikh Community' (अथवा मुस्लिम या सिख समुदाय का) शब्द निकाल दिये जाएं और 'be of the same community' (उसी समुदाय का होगा) शब्दों के स्थान पर 'belong to the Scheduled Caste' (अनुसूचित जाति का होगा) शब्द रखे जाएं।"

जहां तक आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति का सम्बन्ध है मैं यह चाहता हूं कि प्रान्तों तथा केन्द्र के विधान मंडलों के सम्बन्ध में जिन आधारभूत सिद्धान्तों को हमने स्वीकार किया है उनका अनुसरण किया जाये। हमने यह निर्णय किया है कि पृथक निर्वाचन-मंडलों को समाप्त करके उनका स्थान सामान्य निर्वाचन-मंडल ले लेंगे और मुसलमान तथा सिखों के लिये स्थान रखित नहीं रखे जायेंगे तथा अनुसूचित जातियों के लिए स्थान रक्षित किये जायेंगे और वे सामान्य स्थानों के लिये भी खड़े हो सकते हैं। यदि इस सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है तो मैं जिस संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं वह तर्कयुक्त कहा जाता है। यह तर्क मेरी समझ में आता है कि चूंकि पुरानी सभा ही आगामी विधान-सभा का रूप धारण करेगी, इसलिये विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व पूर्ववत रहे। किन्तु यह तर्क न्याय संगत नहीं है और साथ ही इस सिद्धान्त का भी परित्याग किया गया है। पहली बात यह है कि विभिन्न समुदायों के वर्तमान सदस्य पृथक निर्वाचन-मंडलों के आधार पर निर्वाचित किये गये थे, जिन्हें दूसरे परन्तुक में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राज्य की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होगा जिसका अर्थ यह है कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के लिये हमने पृथक निर्वाचन-मंडलों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन-मंडलों के सिद्धान्त को अपनाया है। यदि इस परन्तुक को इसी रूप में रहने दिया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि मुसलमानों और सिखों को भी, आकस्मिक रिक्तताओं के होने पर, सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में भी इस परन्तुक में मूल सिद्धान्त का खण्डन किया गया है। जब हमने दो आधारभूत सिद्धान्तों का अर्थात् पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धान्त का और सिखों और मुसलमानों को सामान्य स्थानों के लिये खड़े होने की आज्ञा देने के सिद्धान्त का, परित्याग किया है तो समझ में नहीं आता कि सिखों तथा मुसलमानों के लिये जगहें रक्षित न रखने के सिद्धान्त को प्रभाव में क्यों नहीं लाया जाता। जहां तक स्थानों को रक्षित रखने का सम्बन्ध है, हम यह जानते हैं कि इस सभा के सभी समझदार मुसलमान तथा सिखों ने स्वयं इस व्यवस्था का परित्याग किया। यह नहीं कहा जा सकता कि इस सभा ने उन्हें यह निर्णय करने के लिये बाध्य किया। मुसलमानों में दो वर्ग थे। जो लोग पृथक निर्वाचन-मंडल चाहते थे उन्होंने इस सभा में अपने प्रस्ताव रखे और इस व्यवस्था का स्वेच्छा से परित्याग नहीं किया। किन्तु उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें रक्षणों की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को इस उपबन्ध से सख्त चोट पहुंचेगी। सिखों ने भी यही किया। उन्होंने रक्षणों का स्वेच्छा से परित्याग किया। अब इस पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त का परित्याग करने से सिखों को हर्ष नहीं होगा।

यदि यह संविधान 1947 में बनता तो मैं यह कह सकता हूं कि मुसलमानों तथा सिखों के लिये रक्षण रखे जाते। पिछले दो वर्षों में हमें जो अनुभव हुआ है उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अब इस व्यवस्था को बनाये रखना बिल्कुल गलत है और मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह उसी सिद्धान्त को स्वीकार करे जो उसने आगामी निर्वाचनों के सम्बन्ध में अपनाया है, अर्थात् उसे मुसलमानों और सिखों के लिये स्थान रक्षित न रखने के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये। यदि हमारे मुसलमान तथा सिख मित्र यह चाहते हैं कि सिखों ओर मुसलमानों के जो स्थान रिक्त हों उनके लिये उन्हें समुदायों के लोग खड़े हों तो इसकी व्यवस्था एक प्रथा द्वारा की जाये। मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें कोई स्थान न मिले किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि स्थानों के रक्षण के सिद्धान्त का उल्लेख करके जिसका सिख और मुसलमान स्वयं परित्याग कर चुके हैं, इस संविधान को कुरूप न बनाया जाये।

***श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करती हूं कि:

> "सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खण्ड (1) के पहले परन्तुक में, 'Muslim or the Sikh Community' (मुस्लिम या सिख समुदाय) शब्दों के स्थान पर 'Muslim, Christian, Sikh Community or by a woman' (मुस्लिम, ईसाई, सिख, समुदाय का है अथवा कोई स्त्री है) शब्द रखे जायें और उक्त परन्तुक के अन्त में 'or sex, as the case may be' (अथवा लिंग, यथास्थिति) शब्द रखे जायें।"

श्रीमान, इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं आत्म-लाघव का अनुभव कर रही हूं और मैं यह भी अनुभव करती हूं कि इसकी थोड़ी बहुत निन्दा भी की जायेगी। किन्तु मेरी यह धारणा है कि चाहे जो हो मुझे अपनी बात कहनी ही चाहिये। इस समय जो परन्तुक विचाराधीन है उसमें यह उपबन्धित है कि अन्तर्कालीन संसद में जो आकस्मिक रिक्तताएं होंगी उनमें से जो स्थान सिख अथवा मुसलमान समुदाय के होंगे उनके लिये उन्हीं समुदायों के लोग खड़े किये जायेंगे। अपने संशोधन द्वारा मैंने यही व्यवस्था महिलाओं के लिये भी करने का प्रस्ताव रखा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि महिलाओं को स्थानों के रक्षण की आवश्यकता नहीं है कि किन्तु इस सभा के सामने मैं यह सुझाव रखना चाहती हूं कि इस समय इस सभा में जितनी महिलाएं हैं उनमें से यदि किसी का स्थान रिक्त हुआ तो उसके लिये महिला ही खड़ी की जाए। पहले भी इस सभा में आकस्मिक रिक्तताएं हुई हैं। अभी तक तीन महिलाओं के स्थान रिक्त हुए हैं; जिनमें से एक स्वर्गवासी श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं; दूसरी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थीं और तीसरी श्रीमती मालती चौधरी थीं। इन तीन महिलाओं को कई कारणों से इस सभा से जाना पड़ा। श्रीमती सरोजिनी नायडू की पदपूर्ति तो न कोई पुरूष कर सकता है और न कोई स्त्री। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बहुत योग्य हैं और श्रीमती मालती चौधरी

[श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी]

भी सुयोग्य हैं। इन महिलाओं के स्थानों पर पुरुष निर्वाचित हुए हैं। जो माननीय सदस्य उनके स्थानों के लिये निर्वाचित हुए हैं उनका मैं अपमान नहीं कर रही हूं, और मुझे विश्वास है कि वह इस सभा के सुयोग्य सदस्य हैं, किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगी कि इतनी ही सुयोग्य महिलाएं भी इन स्थानों के लिये निर्वाचित की जा सकती थीं उन्हें खड़े होने के लिये आमंत्रित करना था। चूंकि अब राज्य का स्वरूप ही बदल गया है और अब वह पुलिस राज्य नहीं रह गया है इसलिये अब शिक्षा और स्वास्थ्य के समान सामाजिक विषय उसकी विकास योजना में मुख्य स्थान रखते हैं। मेरी यह धारणा है कि महिलाओं का राजनैतिक क्षेत्र में जाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसलिए मेरे विचार से, उनका इस सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अपने संशोधन द्वारा मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि महिलाओं को अधिक स्थान नहीं दिये जा सकते तो इस सभा में जो आकस्मिक रिक्तताएं हों उनमें से जो स्थान महिलाओं के हों कम से कम उनके लिये वही निर्वाचित की जायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करती हूं।

***अध्यक्षः** इस अनुच्छेद तथा इससे सम्बद्ध संशोधनों पर अब बहस हो सकती है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद अन्तर्कालीन संसद तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में है। इस अनुच्छेद के उपबन्ध अच्छे हैं किन्तु वे इससे भी अच्छे बनाये जा सकते थे। अनुच्छेद 312-च के मसौदे को सावधानी से पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में जो प्रश्न उठे हैं अथवा जो सन्देह उत्पन्न हुए हैं, उनकी ओर मैं अपने माननीय सहकारियों का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मैं पहले इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) की ओर उनका ध्यान दिलाता हूं। उपखण्ड (ख) में यह उपबन्धित है कि संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् आकस्मिक रिक्तताओं का विनियमन जहां तक हमारे पारित किये हुए नियमों के रूपभेदों तथा अपवादों का सम्बन्ध है, संघ का राष्ट्रपति करेगा यह मेरी समझ में आता है कि सभा का अध्यक्ष, संविधान के प्रारम्भ के पूर्व, रुपभेदों और अपवादों को सभा के समक्ष नहीं रखेगा। किन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता कि संविधान के प्रारम्भ होने पर तथा अन्तर्कालीन संसद के अपना कार्य आरम्भ करने पर संघ के राष्ट्रपति द्वारा बनाये हुए नियम संसद के विचारार्थ उसके समक्ष क्यों नहीं रखे जायेंगे। इस सभा को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व हमने जिन नियमों को स्वीकार किया था उनमें जब संशोधन तथा रूपभेद करने का विचार किया गया तो उन रूपभेदों को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सभा ने नियमित रूप से उन्हें स्वीकार किया। इसलिये इस प्रसंग में भी, जहां तक संघ के राष्ट्रपति का सम्बन्ध है, जब संसद कार्य करने लगे तो संविधान की तथा लोकतंत्र की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जब वह कोई आज्ञप्ति निकालें अथवा नियम बनाये तो उन्हें अन्तर्कालीन संसद के समक्ष रखा जाये। संविधान के प्रारम्भ के पूर्व यह हो सकता है कि राष्ट्रपति को सभा के समक्ष नियम रखने के लिये समय ही न मिले किन्तु संविधान के प्रारम्भ होने पर संघ के राष्ट्रपति को नियमों में किये हुए अपवादों तथा रूपभेदों को अन्तर्कालीन संसद की मंजूरी के लिये उसके विचारार्थ उसके सामने रखना चाहिये। पहली बात यह है।

दूसरी बात इस अनुच्छेद की व्याख्या के प्रथम भाग के सम्बन्ध में है। उसमें कहा गया है कि "किसी राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समझी जायेंगी। मैं नहीं चाहता कि केवल अनुसूचित जातियों के लिये ही "समुदाय" शब्द प्रयोग किया जाए। मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे इस कथन से सहमत होगी कि बहुत पहले हम यह निर्णय कर चुके हैं कि अनुसूचित जातियों का एक पृथक समुदाय नहीं है और वे महान हिन्दू समुदाय के अंग हैं इस सभा ने यह निर्णय किया है। इसलिये व्याख्या के इस भाग में, मेरे विचार से एक बहुत ही पुरानी विचार धारा का समावेश है। हम इस मिथ्या धारणा से अभी पीछा नहीं छुड़ा सके हैं कि अनुसूचित जातियों का भी एक समुदाय है। उन्हें उपसमुदाय अथवा हिन्दू समुदाय का एक समूह कहिये। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में इस सभा में सभी लोग सहमत होंगे इसलिये मैं मसौदा-समिति से, तथा इस सभा से, प्रार्थना करता हूं कि व्याख्या के इस भाग में यथोचित संशोधन किया जाए तो कि अनुसूचित जातियों का हिन्दू समुदाय के अंग के रूप में, न कि एक पृथक समुदाय के रूप में, वर्णन हो।

इसके अतिरिक्त मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भी एक प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से उनके इस कथन में बहुत बल है कि हाल में हमने सिखों और मुसलमानों के लिये कोई रक्षता न रखने के सम्बन्ध में जो निर्णय किये, उन्हें ध्यान में रखते हुए अन्तर्कालीन संसद में इस व्यवस्था को बनाये रखना उचित नहीं है। खण्ड (1) के इस परन्तुक में पर्याप्त रक्षण हैं:

> ".....जब तक कि यथास्थिति संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक...।'

यह रक्षण है। निस्सन्देह किसी विशेष मामले में वह यह उपबन्धित कर सकता है कि आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति कोई ऐसा सदस्य करेगा जो उसी समुदाय का न हो और सिखों और मुसलमानों के लिये स्थान रक्षित नहीं रखे जायेंगे तथा उसका निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन-मंडलों के आधार पर होगा। किन्तु मुझे आशा है कि भविष्य में जब कभी आकस्मिक रिक्तताएं होंगी उनकी पूर्ति के समय सभा का अध्यक्ष और संघ का राष्ट्रपति प्रश्न के इस अंग को ध्यान में रखेगा। वास्तव में जनसंख्या के अनुसार मुसलमानों और सिखों को जितने स्थान मिलने चाहिये उनसे अधिक स्थान हम उनमें से सुयोग्य लोगों को दे सकते हैं किन्तु स्थानों के रक्षण तथा पृथक निर्वाचक-मंडलों की जिस व्यवस्था को हम समाप्त कर चुके हैं उसे हम बनाये न रखें और अन्तरिम काल में भी बनाये न रखें। इसलिये मेरी यह इच्छा है कि सभा आज यह स्पष्ट कर दे कि जहां तक मुसलमानों और सिखों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति का सम्बन्ध है, जनसंख्या अथवा पृथक निर्वाचन-मंडलों के आधार पर, स्थानों के रक्षण कर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** पृथक निर्वाचन-मंडलों के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत:** अनुच्छेद 311 में, जिसे हमने कल पारित किया था, यह कहा गया है कि राष्ट्रपति नियम द्वारा अन्तर्कालीन संसद में उन राज्यों के

[श्री एच.वी. कामत]

प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रख सकता है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, इत्यादि। सभा को स्मरण होगा कि इस सभा के लिये भी निर्वाचन पृथक निर्वाचन-मंडलों अर्थात सामान्य, मुस्लिम और सिख निर्वाचक-मंडलों के आधार पर निर्वाचन हुआ था। यदि हम किसी अनुच्छेद में यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति करने में इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया जायेगा तो भविष्य में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में सन्देह हो सकता है और मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना का ही अनुसरण किया जा सकता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस अनुच्छेद में अथवा अन्यत्र हम यह उपबन्धित करें कि कहीं भी पृथक निर्वाचन-मंडल नहीं होंगे और आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के लिये भविष्य में सभी निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन-मंडलों के आधार पर होंगे।

इसके अतिरिक्त मेरी मित्र श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने भी एक प्रश्न उठाया है। यद्यपि उन्होंने स्त्रियों के लिये विशेष रक्षणों के लिये तर्क नहीं उपस्थित किया है किन्तु, मेरे विचार से, इसके लिये सभा आसानी से सहमत हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि श्रीमती सरोजिनी नायडू के रिक्त स्थान की पूर्ति पुरूषों में से कोई नहीं कर सकता। मैं कह नहीं सकता कि उनका आशय क्या था किन्तु इस कारण मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। यदि इस सभा में अधिक महिलाएं हों तो मुझे कोई आपत्ति न हो, और वास्तव में हर्ष हो, किन्तु इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में उन्हें इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये। यदि मैं उन्हें ठीक सुन पाया तो उन्होंने यह कहा कि महिलाओं को इस समय प्रशासन के कार्य के लिये जितना अवसर मिलता है उससे अधिक अवसर उन्हें दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में, अर्थात् प्रशासन कार्य के लिये महिलाओं की योग्यता के सम्बन्ध में; राजनैतिक दार्शनिकों ने यह आपत्ति की है कि स्त्रियों पर हृदय का शासन रहता है और मस्तिष्क का शासन नहीं रहता। शासन-कार्य में अनेक प्रकार की स्त्रियों तथा पुरुषों से बड़ी सावधानी से व्यवहार करना होता है। यदि मस्तिष्क सावधान नहीं रह पायेगा तो स्त्रियों को शासन कार्य में कठिनाई होगी। यदि हृदय का शासन रहेगा और मस्तिष्क का स्थान गौण रहेगा तो, जैसा कि विचारशील पुरुषों तथा स्त्रियों का भी विचार है, शासन कार्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जायेगी और वह सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। किन्तु मैं इस प्रश्न पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रश्न को लेकर कि जब कभी किसी महिला का स्थान रिक्त होगा तो उस स्थान के लिये महिला ही निर्वाचित होगी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी से नहीं झगड़ेगी।

एक प्रश्न इस अनुच्छेद की व्याख्या (2) के सम्बन्ध में भी उठता है। वह राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में होने वाली आकस्मिक रिक्तताओं के सम्बन्ध में है। यह सच है कि राज्यों के विधान-मंडलों के सम्बन्ध में संविधान में निर्वाचन सम्बन्धी उपबन्ध रखे गये हैं। किन्तु अन्तरिम काल के सम्बन्ध में; इस पर विचार करते हुए कि हाल में समाविष्ट तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से देशी राज्यों में तथा राज्यपाल-प्रान्तों में भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं; मेरे विचार से इस विषय से सम्बन्ध में; अर्थात् अन्तरिम काल में राज्य के विधान-मंडलों में आकस्मिक

रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में; यदि राष्ट्रपति राज्य के अथवा प्रान्त के राज्यपाल से परामर्श करेगा तो कोई हानि नहीं होगी और लाभ ही होगा। प्रान्तों में तथा राज्यों में राज्यपालों को मंत्री परामर्श देते रहेंगे, इसलिये उसे सभी स्थानीय घटनाओं की सूचना होगी और वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को यथोचित परामर्श दे सकेगा। इसलिये मेरे विचार से, समझदारी इसी में है कि यह उपबन्धित किया जाये कि व्याख्या (2) में निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में संघ का राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। श्रीमान, मुझे आशा है कि जो प्रश्न मैंने उठाया है उस पर मसौदा समिति तथा यह सभा ध्यानपूर्वक विचार करेगी और इस समय, अथवा संविधान के तीसरे पठन के अवसर पर, इस आशय की पूर्ति के लिये इस अनुच्छेद में यथोचित समाविष्ट करेगी।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** अध्यक्ष महोदय, नवीन अनुच्छेद 312-च अन्तर्कालीन संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में है। कुछ बातों के साथ मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करना चाहता हूं।

अभी हमने जिस अनुच्छेद (अर्थात् अनुच्छेद 311) को पारित किया है उसके अधीन उन सदस्यों को, जो दो विधान-मंडलों के सदस्य हैं, इस सभा से चला जाना होगा। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि 26 जनवरी, 1950 को इस सभा से चले जायेंगे। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में इस सभा में फिर वही पुरानी गलती की जा रही है। आरम्भ में हम यह चाहते थे कि हमारी जनसंख्या के आधार पर इस सभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो। एक प्रथा इस प्रकार थी कि हरिजनों की प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या के लिये इस सभा में एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। इस सभा में इस समय 28 हरिजन सदस्य हैं जिनमें से दो मंत्री हैं। हरिजनों की जनसंख्या को देखते हुए यहां कम से कम साठ सदस्य होने चाहिये थे। किन्तु अन्तिम अनुच्छेद के अधीन 28 में से 17 हरिजन सदस्य इस सभा से चले जायेंगे। ये लोग हरिजनों के जाने पहिचाने नेता हैं और उनके समुदाय के बुद्धिमान भी यही हैं। इस अनुच्छेद के अधीन संघ के राष्ट्रपति को अथवा संविधान सभा के अध्यक्ष को आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति की शक्ति दी जा रही है तो मेरा एक निवेदन है। मेरा यह निवेदन है कि हरिजन समुदाय में इस कारण सदस्य नहीं मिलते कि उस समुदाय के लोग अशिक्षित हैं। आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के लिये आपको अनुसूचित जातियों में से इतने अधिक सदस्य नहीं मिलेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी आवश्यकता है कि इन आकस्मिक रिक्ताओं को पूर्ति करते समय राष्ट्रपति उन सदस्यों के मामलों पर भी विचार करें जो प्रान्तीय विधान-सभाओं के सदस्य होने के कारण इस सभा को छोड़ कर जा रहे हैं। जहां तक मेरे प्रान्त का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि हमें इससे अधिक उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सकते। हरिजनों में कुछ लोग हैं किन्तु वे प्रान्तीय-विधान-मंडल के सदस्य हैं। मेरे विचार से अन्य प्रान्तों में भी यही स्थिति होगी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जब संघ के राष्ट्रपति अथवा संविधान सभा के अध्यक्ष, आकस्मिक रिक्तताओं के सम्बन्ध में नियम बनायें तो वे हरिजन समुदाय के सदस्यों को स्वेच्छा से निर्णय करने का कुछ अधिकार दें।

[श्री एच.जे. खांडेकर]

दूसरी बात यह है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस सभा से मुसलमानों, सिखों तथा हरिजनों के जितने सदस्य जायेंगे उतने ही उसी समुदाय के सदस्य निर्वाचित होंगे। यहां हमारी संख्या 28 है और 17 सदस्य जा रहे हैं। इस खंड के अधीन 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। इस का अर्थ यह है कि स्थिति वही रहेगी। हरिजनों को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया जा रहा है और, जैसा कि मैं कह चुका हूं, पुरानी ही गलती दुहराई जा रही है। मेरा यह सुझाव है। देशी राज्य में हरिजनों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ है। मैं बहुत खेद के साथ सभा को यह सूचित करता हूं कि जब देशी राज्यों से सदस्य भेजे गये तो मैसूर के एक सदस्य के अतिरिक्त उनमें से एक सदस्य भी हरिजन नहीं था। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें। मैं कह नहीं सकता कि देशी राज्यों के सदस्य पदत्याग कर रहे हैं या नहीं। यदि वे पद त्याग करें तो मेरा यह सुझाव है कि उनके स्थानों के लिये हरिजन निर्वाचित किये जायें। इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने एक उदाहरण भी रखना चाहता हूं। मद्रास में एक प्रथा के अनुसार हमारे समुदाय के आठ सदस्य निर्वाचित होने चाहिये थे, किन्तु केवल सात ही निर्वाचित हुए हैं। एक स्थान अब भी रिक्त है अथवा किसी सवर्ण हिन्दू को दे दिया गया है। वह स्थान किसी हरिजन को दिया जाना चाहिये। मध्य प्रान्त तथा बरार से हमारे तीन सदस्य निर्वाचित होते थे। तीन सदस्य निर्वाचित हुए किन्तु बाद में एक हरिजन सदस्य ने पदत्याग कर दिया।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास: जनरल): उससे पदत्याग करवाया गया।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** उनके स्थान पर एक वर्ण हिन्दू निर्वाचित किया गया। डॉ. रघुवीर, जो मध्य प्रांत से हरिजन सदस्य के स्थान पर निर्वाचित किये गये, मेरे मित्र हैं और उन्होंने यहां भाषा के सम्बन्ध में काम किया हैं। मैं कह नहीं सकता कि वे पदत्याग करेंगे अथवा नहीं क्योंकि वे दो सभाओं के सदस्य नहीं है। दो सभाओं का सदस्य होने के कारण जिस किसी व्यक्ति का स्थान मध्य प्रान्त में रिक्त हो वह किसी हरिजन को दिया जाना चाहिये। मेरी यह प्रार्थना है कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में नियम बनाते समय, अथवा उपबन्ध रखते समय, संघ के राष्ट्रपति अथवा संविधान सभा के सभापित, चाहे जो भी हों, हरिजनों को उनके यथोचित स्थान, अर्थात् 60 स्थान, प्रदान करें। संविधान 26 जनवरी, 1950 से प्रवर्तन में आयेगा। संविधान में हमने इस आशय का एक उपबन्ध रखा है कि अन्तर्कालीन संसद में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। मेरी यह प्रार्थना है कि हम संविधान के इस खण्ड को ध्यान में रखें।

मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद में जो व्याख्या रखी है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। वह अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों की सूची के सम्बन्ध में है। जैसे ही यह संविधान प्रवर्त्तन में आयेगा वैसे ही अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों की उन सूचियों का, जो 1935 के अधिनियम में दी हुई हैं; शून्यन हो जायेगा और अन्तरिम काल के लिये कोई सूची नहीं रह जायेगी। इस संविधान के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति इस सूची को तैयार करेगा और इस सम्बन्ध में घोषणा करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अनुसूचित जातियों

के सदस्यों से अथवा संसद से परामर्श करके उसे तैयार करेगा। यह संघ के राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर है। किन्तु संक्रान्ति काल के लिये एक सूची की आवश्यकता है और उसके सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर की व्याख्या में जो कुछ कहा गया है वह पर्याप्त है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

***श्री एस. नागप्पा:** अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद उन आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में है जो दो सभाओं के सदस्यों के अपने स्थानों को रिक्त करने पर होंगी। मेरे माननीय मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्ले तथा श्री खांडेकर अनुसूचित जातियों की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के जो स्थान रिक्त होंगे उनके लिये अनुसूचित जातियों के लोग ही निर्वाचित होंगे और मुसलमानों तथा सिखों के जो स्थान रिक्त होंगे उनके लिये उन्हीं समुदायों के लोग निर्वाचित होंगे। दूसरे शब्दों में जो हिन्दू अनुसूचित जातियों के नहीं हैं उनके स्थान सुरक्षित रहेंगे और उनके लिये वही निर्वाचित होंगे। आरम्भ में जब रिक्तताओं की पूर्ति हुई तो अनुसूचित जातियों के साथ बहुत अन्याय हुआ। मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्ले तथा श्री खांडेकर इसे स्पष्ट कर चुके हैं। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघ का राष्ट्रपति, अथवा संविधान सभा का अध्यक्ष, अन्य कदम भी उठा सकता है, अर्थात् यदि वह सिख और मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य लोगों के स्थानों पर अनुसूचित जातियों के लोगों को लाना चाहे तो वह जितनों को चाहे ला सकता है। मैं न केवल मसौदा-समिति के सभापति से बल्कि संविधान सभा के अध्यक्ष से भी यह आश्वासन चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को जनसंख्या के आधार पर जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये उतना उनको प्राप्त होगा। जो कुछ हुआ है वह हो चुका है। अब 26 जनवरी से अन्तर्कालीन संसद कार्य करेगी। अभी तक हरिजनों का प्रतिनिधित्व दोषपूर्ण रहा है और मैं नहीं चाहता कि गणराज्य में भी उन्हें इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त रहे। देश का, लोगों का, तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और मुझे आशा है कि गलती दूर की जायेगी और अनुसूचित जातियों को उनका हक दिया जायेगा।

आखिर यह मांग उचित ही है। हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमें जो मिलना चाहिये उसी की हम मांग कर रहे हैं। हम किसी प्रकार का वज़न नहीं चाहते और किसी का स्थान भी नहीं चाहते और न हम यही कहते हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं। मैं श्री कामत के इस सुझाव से सहमत हूं कि 'समुदाय' शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिये। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि वर्ग-विभेद रहे। आप हमें भिन्न वर्ग का समझते हैं; यद्यपि भिन्न समुदाय का नहीं समझते। केवल इस कारण कि हम आपके साथ मिल जाते हैं और यहां आप के साथ ही आये हैं, हमारे राजनैतिक अधिकारों का अपहरण नहीं होना चाहिये।

***अध्यक्ष:** इस खण्ड को पढ़ने पर मुझे यह दिखाई देता है कि अन्य स्थानों से निर्वाचित होने के लिये हरिजनों का अपवर्जन नहीं किया गया है। उसमें केवल

[अध्यक्ष]

यह आश्वासन दिया गया है कि जिन स्थानों को वे रिक्त करेंगे उनके लिये वे अवश्य ही निर्वाचित होंगे। किन्तु उन्हें अन्य स्थानों के लिये निर्वाचित करने की छूट है। आपने यह कहा था कि अन्य हिन्दुओं के स्थान भी रक्षित किये गये हैं। यह बात नहीं है।

***श्री एस. नागप्पा:** प्रकारान्तर से उसका यही अर्थ है। यदि अनुसूचित जातियों के चार व्यक्ति अपने स्थान रिक्त करेंगे तो उनके लिये चार व्यक्ति निर्वाचित होंगे।

***अध्यक्ष:** यदि उनके पास 27 स्थान हैं तो इसके अधीन 27 व्यक्ति अवश्य ही निर्वाचित होंगे। किन्तु उनके 27 स्थान बढ़कर 54 भी हो सकते हैं। इसके लिये कोई रोक नहीं है।

***श्री एस. नागप्पा:** इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अनुच्छेद के अधीन वे हिन्दू जो अनुसूचित जातियों के नहीं हैं उसी संख्या में निर्वाचित होंगे।

***अध्यक्ष:** उसमें यह नहीं कहा गया है। उसमें यह आश्वासन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के 27 सदस्य अवश्य ही निर्वाचित होंगे। इससे अधिक और चाहे जितने भी निर्वाचित हों इसकी छूट दी गई है।

***श्री एस. नागप्पा:** मेरा यह निवेदन है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को जितने स्थान मिलने चाहिये वे उन्हें मिलें। मुझे इस की चिन्ता नहीं है कि वे स्थान सिखों से लेकर दिये जायें या मुसलमानों से लेकर। मैं यह चाहता हूं कि हमें जितने स्थान मिलने चाहिये वे मिलें। ये स्थान प्रदान किये जायें और नवीन गणराज्य में इस प्रकार का दोषयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं रहने दिया जाये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): अब प्रस्ताव पर मत लिया जाए।

***अध्यक्ष:** बहस बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है।

प्रस्ताव यह है कि:

"अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, इस बहस में केवल एक दो प्रश्न उठाये गये हैं। श्री सक्सेना तथा पंडित भार्गव ने जो प्रश्न उठाया वह अंतरिम काल में मुसलमानों तथा सिखों के प्रतिनिधित्व को बनाये रखने के बारे में है। वे इसे बनाये रखने का विरोध इस कारण करते हैं कि इस संविधान सभा में विचार विमर्श होते समय मुसलमानों और सिखों ने अपने विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार का परित्याग कर दिया था। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो भी व्यवस्था की गई है वह उस स्थाई संसद के लिये की गई है जो इस संविधान के अधीन

निर्मित होगी। इस दशा में यह उचित तथा न्याय संगत नहीं है कि संविधान सभा का स्वरूप बदला जाए और इसे इसी रूप में अन्तर्कालीन संसद का कार्य न करने दिया जाए।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी के संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि संविधान सभा में महिलाओं के स्थानों को बनाये रखने के बारे में कोई उपबन्ध रखने की आवश्यकता नहीं है मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि नियम बनाने की अपनी शक्ति की प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इस ओर ध्यान देगा कि अन्तर्कालीन संसद में कुछ महिला-सदस्य तथा विभिन्न दलों के भी सदस्य आयें।

श्री मुनिस्वामी पिल्ले अपने संशोधन द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में एक नवीन उपबन्ध चाहते हैं। वास्तव में अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती किन्तु बात यह है कि इस समय अनुसूचित आदिम जातियों की गणना नहीं की गई है, क्योंकि भारत शासन-अधिनियम 1935 में उनका उल्लेख नहीं किया गया है। भारत-शासन-अधिनियम में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जहां कहीं आदिम जातियों का उल्लेख है, उनका पिछड़ी हुई आदिम जातियों के रूप में उल्लेख है। यदि मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्ले इस प्रश्न को मसौदा-समिति के निर्णय के लिये छोड़ दें तो वह उनके संशोधन के आशय को कार्यान्वित करने के लिये यथोचित व्यवस्था करेगी।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 3 के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च का खण्ड (1) निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 202 ।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लेः** मैं चाहता हूं कि उस पर मसौदा-समिति ही विचार करे। मैं उस पर मत देने के लिये जोर नहीं देता।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 3 के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खण्ड (2) में 'as the President may by order direct' (जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे) शब्दों के स्थान पर 'as the Parliament may by law provide' (जैसे संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या 203 पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 312-च के खण्ड (1) के पहले परन्तुक में से 'or to the Muslim or the Sikh Community' (अथवा मुस्लिम या सिख समुदाय का) शब्द निकाल दिये जायें और 'be of the same community' (उसी समुदाय का होगा) शब्दों के स्थान पर 'belong to the Scheduled Caste' (अनुसूचित जाति का होगा) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधन संख्या 204 उठाता हूं।

***श्रीमती पूर्णिमा बनर्जीः** श्रीमान, मैं चाहती हूं कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसे वापस लेने की मुझे आज्ञा दी जाये।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** अब संशोधन संख्या 205 द्वारा परिवर्तित रूप में मैं इस अनुच्छेद पर मत लूंगा। अर्थात् संशोधन संख्या 205 द्वारा जिस संशोधन संख्या 164 की व्याख्या संशोधित हुई है उस पर मैं मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित अनुच्छेद 312-च, संशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 312-च, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया।

अनुसूचियां 3-क तथा 4

***अध्यक्षः** अब हमें अनुसूची 3-क को उठाना है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, अनुसूची 3-क नहीं उपस्थित की जा रही है। वह सूची से निकाली जा सकती है। विचार यही है।

***अध्यक्षः** इसलिये संशोधनों का प्रश्न ही नहीं उठता।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** किन्तु प्रक्रिया की दृष्टि से उसे उपस्थित करना ही उचित होगा। विचार क्या है? क्या वह स्थगित की जा रही है?

***अध्यक्षः** वह संविधान के मसौदे का अंग नहीं है। वह अनुसूची संशोधन के रूप में रखी गई थी और जब वह संशोधन ही नहीं उपस्थित किया जा रहा है तो उस संशोधन पर संशोधनों का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये अनुसूची 3-क का, तत्सम्बद्ध सभी संशोधनों के साथ, शून्यन किया जाता है।

अब हम अनुसूची 4 को उठाते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अनुसूची 4 निकाल दी जाये।

***कुछ माननीय सदस्यः** वह निकाली कैसे जा सकती है?

***अध्यक्षः** जहां तक मसौदा-समिति का सम्बन्ध है वह कुछ अनुच्छेदों को निकालने का प्रस्ताव करती रही है। अनुसूची 4 के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी हैं। मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि डॉ. अम्बेडकर स्थिति स्पष्ट करें और बतायें कि यह अनुसूची क्यों निकाली जा रही है, क्योंकि सदस्य संशोधनों की सूचना दे चुके हैं। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्री कृष्णमाचारी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, चौथी अनुसूची की इसलिये आवश्यकता थी कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के मंत्रियों से जो सम्बन्ध होंगे उनका वर्णन करने के लिये संविधान में उपबन्ध रखे गये थे। अब यह समझा गया है कि संविधान के एक परिशिष्ट में आदेश-पत्र के रूप में इस विषय का उल्लेख न करके इस सम्बन्ध में एक प्रथा बनने दी जाये बहुत से लोगों की यही सम्मत्ति है। इसलिये संशोधन के रूप में हमने जिस अनुसूची 3-ख को प्रस्तावित किया था उसे तथा संविधान के मसौदे में समाविष्ट अनुसूची 4 को निकालने का निश्चय किया गया है क्योंकि यह विचार किया गया है कि संविधान में इस प्रकार के आदेशों को रखना अनावश्यक है और उचित यही है कि इस समबन्ध में समय-समय पर प्रथायें बनें और राष्ट्रपति तथा राज्यपालों का अपने अपने क्षेत्रों में उनसे पथप्रदर्शन हो। चूंकि यह समझा गया है कि ये अनुसूचियां अनावश्यक हैं इसलिये मैंने दूसरी अनुसूची को निकालने का प्रस्ताव रखा है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसाः जनरल): श्रीमान, मैं भ्रम में पड़ गया हूं। मैं नहीं चाहता कि पूरी अनुसूची 4 को इतनी जल्दी निकाल दिया जाए। गवर्नर-जनरल तथा राज्यपालों की शक्तियों के सम्बन्ध में हम सभी अनुसूचियों को स्वीकार कर लें और यदि मसौदा समिति उनमें से किसी को निकालने की आवश्यकता समझे तो

[श्री बी. दास]

वह बाद में निकाल दी जाये। अब जब हम आज का कार्य समाप्त करने को हैं हमारे समाने एकाएक यह प्रस्ताव रखा गया है कि अनुसूची 4 निकाल दी जाये। हमारे लिये इस स्थिति को समझना कठिन है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विषय पर मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को क्या कहना है। मैं वकील नहीं हूं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या सम्मति है। मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि अवशिष्ट अनुच्छेदों पर विचार करने के पश्चात् हम अनुसूचियों को निकालने के प्रश्न को उठायें। मेरा यही निवेदन है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यहां केवल एक बात स्पष्ट कराने के लिये आया हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि अनुसूची 4 बिल्कुल ही क्यों निकाली जा रही है। क्या यह समझा जा रहा है कि अब से निर्वाचकों तक उस अनुसूची के किसी अंश को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि यह बात है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में कुछ ही समय पश्चात् निर्वाचन होने वाले हैं, और निर्वाचनों के पश्चात् राज्यपाल को चौथी अनुसूची के दूसरे पैरा के अधीन कार्यवाही करनी होगी। पैरा 2 में कहा गया है कि:

> "मंत्रि-परिषद् के लिये नियुक्तियां करते समय राज्यपाल अपने मन्त्रियों को इस प्रकार चुनने का यथाशक्ति प्रयास करेगा, अर्थात् वह उस व्यक्ति से परामर्श करके, नियुक्तियां करेगा जिसका उसके विचार से, विधान-मंडल में स्थाई बहुमत है और जिसे सामूहिक रूप से विधान-मंडल का विश्वास प्राप्त है....."

पश्चिमी बंगाल में जैसे ही निर्वाचन समाप्त होंगे वहां के राज्यपाल को इस अनुसूची के पैरा 2 में वर्णित शक्तियों को प्रयोग करना होगा। इसलिये अन्तरिम काल के लिये ऐसे उपबन्ध रखे जाने चाहिये जिनके अधीन आवश्यकता पड़ने पर ये शक्तियां प्रयोग की जा सकें। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, आदेश-पत्र के सम्बन्ध में दो बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आरम्भ में ब्रिटिश संविधान में उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में आदेश पत्र राज्यों के प्रधानों को इस सम्बन्ध में आदेश देने के लिये रखा गया था कि उन्हें स्वविवेक से प्रयोग करने के लिये जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उन्हें वे कैसे प्रयोग करें गवर्नर अथवा वायसराय, जिन्हें ये आदेश दिये जाते थे, भारत मंत्री के अधीन होते थे। यदि कोई बहुत गम्भीर मामला उठ खड़ा होता था, जैसे कि यदि कई गवर्नर आदेश पत्र द्वारा उसे दिये हुए आदेशों की बराबर उपेक्षा करता था तो भारत मंत्री उसे हटा कर किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता था और इस प्रकार आदेश-पत्र को प्रयोग में

ला सकता था। जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, हमने उसमें किसी ऐसे प्राधिकारी के सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं रखे हैं जो राज्यपालों को आदेश-पत्र के आदेशों का वफादारी से अनुसरण करने के लिये बाध्य करें।

इसके अतिरिक्त इस संविधान के अधीन हमने राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय करने की बहुत कम शक्ति दी है। उसे स्वविवेक से निर्णय करने की वास्तव में कुछ भी शक्ति प्राप्त नहीं है। मंत्रि-मंडल के लिये लोगों को चुनने के सम्बन्ध में उसे मुख्य मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। किसी शासन सम्बन्धी अथवा विधि सम्बन्धी कदम के लिये भी, उसे मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। इस स्थिति में यदि मुख्य मंत्री किसी कारण अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न रखना चाहे तो इस सम्बन्ध में राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसके लिये आदेश-पत्र में यह आदेश हो कि वह एक विशेष कदम उठाये। यह विचार किया गया है कि चूंकि राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय करने की शक्ति नहीं दी गई है, और संविधान में किसी ऐसे प्राधिकारी के लिये व्यवस्था नहीं है जो इन आदेशों को प्रभाव में ला सके, इसलिये इस प्रकार के आदेश नहीं देने चाहिये। वे निरर्थक हैं और उनके किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिये यह विचार किया गया है कि इस प्रकार के आदेश-पत्र को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भिन्न परिस्थिति में उसकी आवश्यकता हो सकती है जो नवीन संविधान के प्रारम्भ होने पर किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकती। मुख्यतः इसी प्रकार यह समझा गया है कि इस प्रकार के आदेश-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"चतुर्थ अनुसूची निकाल दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

चतुर्थ अनुसूची संविधान से निकाल दी गई।

द्वितीय अनुसूची

***अध्यक्षः** अब सभा अनुसूची 2 पर विचार करेगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"द्वितीय अनुसूची के भाग 1 के स्थान पर यह रखा जाये:-

'Part I

Provisions as to the President and the Governors of States for the time being specified in Part I of the First Schedule.

1. There shall be paid to the President and to the Governors of the States for the time being specified in Part I of the

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

First Schedule the following emoluments per mensem, that is to say:—

The President—10,000 rupees.

The Governer of a State—5,500 rupees.

2. There shall also be paid to the President and to the Governors such allowances as were payable respectively to the Governor-General of the Dominion of India and to the Governors of the corresponding Provinces immediately before the commencement of this Constitution.

3. The President and the Governors throughout their respective terms of office shall be entitled to the same privileges to which the Governor-General and the Governors of the corresponding Provinces were respectively entitled immediately before the commencement of this Constitution.

4. While the Vice-President or any other person is discharging the functions of, or is acting as, President, or any person is discharging the functions of the Governor, he shall be entitled to the same emoluments, allowances and privileges as the President or the Governor whose functions he discharges or for whom he acts, as the case may be.' "

[भाग 1

राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (1) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध।

1. राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (1) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां प्रति मास दी जायेंगी अर्थात–

राष्ट्रपति को— 10,000 रुपया

राज्य के राज्यपाल को— 5,500 रुपया

2. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्य के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

3. राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक होगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः गवर्नर-जनरल तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को था।

4. जब कि राष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अथवा उसके रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उस को वैसी ही उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को है जिसके कृत्यों का यह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति जिसके रूप में यह कार्य करता है।]

भाग 2

"भाग (2) के शीर्षक में 'Part I (भाग 1) शब्द और अंक के पश्चात् 'or Part III' (अथवा भाग 3) शब्द और अंक प्रविष्ट किये जायें।"

"पैरा 7 के स्थान पर यह पैरा रखा जाये:–

'7. There shall be paid to the ministers for any State for the time being specified in Part I or Part III of the First Schedule such salaries and allowances as were payable to such ministers for the corresponding Province or the corresponding Indian State, as the case may be, immediately before the commencement of this Constitution.' "

[7. प्रथम अनुसूची के भाग (1) या भाग (3) में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मन्त्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।]

भाग 3

"पैरा 8 में 'respectively to the Deputy President of the Legislative Assembly and to the Deputy President of the Council of States immediately before the fifteenth day of August, 1947' (क्रमशः विधान-सभा के उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के उपाध्यक्ष को अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन से ठीक पहले दिये थे) शब्दों के स्थान पर 'to the Deputy Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

before such commencement' (भारत डोमिनियन की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले देय थे) शब्द रखे जायें।"

भाग 4

"द्वितीय अनुसूची के भाग 4 के स्थान पर यह रखा जाये:–

Part IV

Provisions as to the Judges of the Supreme Court and of the High Courts of States in Part I of the First Schedule.

10. (1) There shall be paid to the judges of the Supreme Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say:—

The Chief Justice—5,000 rupees

Any other Judge—4,000 rupees:

Provided that if a judge of the Supreme Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State of any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the Supreme Court shall be reduced by the amount of that pension.

(2) Every judge of the Supreme Court shall be entitled without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in paragraph (2) of this paragraph shall apply to a judge who was appointed as a judge of the Federal Court before the thirty-first day of October, 1948, and has become on the date of the commencement of this Constitution a judge of the Supreme Court under clause (1) of article 308 of this Constitution, and every such

judge shall in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph be entitled to receive as special pay an amout equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which was payable to him as a judge of the Federal Court immediately before such commencement.

(4) Every judge of the Supreme Court shall receive such reasonable allowances to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as the President may from time to time prescribe.

(5) The rights in respect of leave of absence (including leave allowances) and pension of the judges of the Supreme Court shall be governed by the provisions which, immediately before the commencement of this Constitution, were applicable to the judges of the Federal Court.

11. (1) There shall be paid to the judges of the High Court of each State for the time being specified in Part I of the First Schedule, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say:—

The Chief Justice—4,000 rupees

Any other judge—3,500 rupees

(2) Every person who was appointed permanently as a judge of a High Court in any Province before the thirty-first day of October, 1948, and has on the date of the commencement of this Constitution become a judge of the High Court in the corresponding State under clause (1) of article 310 of this Constitution, and was immediately before such commencement drawing a salary at a rate higher than that specified in sub-paragraph (1) of this paragraph, shall be entitled to receive as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which was payable to him as a judge of the High Court immediately betore such commencement.

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(3) Every such judge shall receive such reasonable allowances to re-imburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as the President may from time to time prescribe.

(4) The rights in respect of leave of absence (including leave allowances) and pension of the judges of any such High Court shall be governed by the provisions which, immediately before the commencement of this Constitution, were applicable to the judges of the High Court of the corresponding Province.

12. In this Part, unless the context otherwise requires,

(a) the expression "Chief Justice" includes an acting Chief Justice, and a "Judge" includes an ad hoc judge,

(b) "actual service" includes—

(i) time spent by a judge on duty as a judge or in the performance of such other functions as he may at the request of the President undertake to discharge;

(ii) vacations, excluding any time during which the judge is absent on leave; and

(iii) joining time on transfer from a High Court to the Supreme Court or from one High Court to another.' "

[भाग 4

उच्चतम न्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (1) में के राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में उपबन्ध।

10. (1) उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रतिमास वेतन दिया जायेगा अर्थात–

मुख्य न्यायाधिपति.....	5,000	रुपया
कोई अन्य न्यायाधीश	4,000	रुपया

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिक्त) कोई निवृत्ति वेतन मिलता हो तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के बारे में उसके वेतन में से निवृत्ति-वेतन की राशि घटा दी जायेगी।

(2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, बिना किराया दिये, पदावास के उपयोग का हक होगा।

(3) इस कंडिका की उपकंडिका (2) में की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले अक्तूबर 1948 के इकत्तीसवें दिन के पूर्व फेडरल न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ था और इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि को इस संविधान के अनुच्छेद 308 के खण्ड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन गया है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश को इस कंडिका की उपकंडिका (1) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(4) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे।

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिसके अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

11. (1) प्रथम अनुसूची के भाग (1) में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति— 4000 रुपये

कोई अन्य न्यायाधीश— 3,500 रुपये

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(2) जो व्यक्ति अक्तूबर 1948 के इकत्तीसवें दिन के पूर्व किसी प्रान्त में के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्थायी रूप से नियुक्त हुआ था और इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि को इस संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (1) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले इस कंडिका की उपकंडिका (1) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो उसको विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(3) ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में कई गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे।

(4) ऐसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी भत्ते भी हैं) और निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

11. इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा उपेक्षित न हो–

(क) "मुख्य न्यायाधिपति" पदावली के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति है तथा "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधीश है।

(ख) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत है:–

(1) न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका कि राष्ट्रपति की आकांक्षा पर उसने निर्वहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत समय;

(2) उस समय को न गिन कर जिसमें कि वह न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश; तथा

(3) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्चन्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल।]

भाग 5

"भाग 5 के शीर्षक में 'Auditor-General' (महालेखापरीक्षक) शब्द के स्थान पर 'Comptroller and Auditor-General' (नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक) शब्द रखे जायें।"

"पैरा 14 के स्थान पर यह पैरा रखा जाये:-

14. (1) There shall be paid to the Comptroller and Auditor-General of India a salary at the rate of four thousand rupees per mensem.

(2) The person who was holding office immediately before the commencement of this Constitution as Auditor-General of India and has become on the date of such commencement the Comptroller and Auditor-General of India under article 310A of this Constitution shall in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph be entitled to receive as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which was payable to him as Auditor-General of India immediately before such commencement.' "

[14.(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये प्रति मास की दर से वेतन दिया जायेगा।

(2) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखा-परीक्षक के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद 310-क के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उसको इस कंडिका की उपकंडिका (1) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।]

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

"पैरा 15 में पहली बार जहां 'Auditor-General' (महालेखापरीक्षक) शब्द आया है उसके स्थान पर 'Comptroller and Auditor-General' (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) शब्द रखे जायें।"

यदि आप की आज्ञा हो तो मैं इन उपबन्धों की व्याख्या कल करूंगा।

***अध्यक्षः** सभा कल प्रातः दस बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा बुधवार तारीख 12 अक्तूबर, 1949 के दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई।